

जुलाई, 2024

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

RNI No.-13466/1963
Postal Regd. No. GPOLW-NP/181/2024-26
Total No. of Page - 44
Postal Date : 18 & 19 Every Month

मूल्य : 15.00

सहकारिता

हिन्दी मासिक पत्रिका

‘सहकारिता रत्न’ पुरस्कार

इफको की
53वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में
सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर को ‘सहकारिता रत्न’ पुरस्कार देते हुये
अध्यक्ष दिलीप भाई संघाणी, बलबीर सिंह, सीईओ व एमडी उदय शंकर अवस्थी।



सहकारिता मंत्री द्वारा उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० की अलीगंज शाखा के नवीन भवन का शुभारम्भ

x lœ&i n&sk, o&ns&k&fonskr d d hl gd kj hx fr fof/k, k&d ht kud kj hgs&dj <8

“सहकारिता”

(हिन्दी मासिक पत्रिका)



I gd kj r kj I ekt okn] d f'ki p&k r hj kt , oa
x lœh.kfu; k&u d kKku ni Zk

“सहकारिता”

(हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र)



I gd kj hx fr fof/k, k&d ht kud kj hgs&dj
सहकारिता पढ़िये, सहकारिता से जुड़िये

सहकारिता



वर्ष-62 अंक-01 जुलाई, 2024

संरक्षक

अनिल कुमार (आई.ए.एस.)

आयुक्त एवं निबन्धक

सहकारिता, उ०प्र०

श्रीकान्त गोस्वामी

प्रबन्ध निदेशक / प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह

महाप्रबन्धक (प्रशा०, शिक्षा)

सुनील कुमार दिवाकर

प्रभारी सम्पादक

पवन कुमार वर्मा

आवरण एवं लेजर टाइप / प्रूफ रीडर

सदस्यता शुल्क :

एक प्रति : 15.00 रुपये
वार्षिक (बारह अंक) : 150.00 रुपये (डाक से)
आजीवन : 1500.00 रुपये

सदस्यता शुल्क व्यक्तिगत या बैंक ड्राफ्ट / चेक द्वारा सम्पादक "सहकारिता" यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) के पते पर भेजें।

सम्पादकीय कार्यालय :

यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि० 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) 226 001.

फोन नं०: 0522-4004577 मो० नं० : 9415094114

ई-मेल : sahkarita@gmail.com,

स्वत्वाधिकारी यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, प्रकाशक, मुद्रक, सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रभारी सम्पादक - सुनील कुमार दिवाकर।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं। इसमें सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृ०सं०
1.	सम्पादकीय	4
2.	सहकारिता मंत्री ने उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. की अलीगंज शाखा के नवीन भवन का किया शुभारम्भ	5
3.	हमारी शिक्षा पद्धति कितनी उपयोगी? - डॉ० ओ.पी. मिश्र	7
3.	दो जून की रोटी - मुकेश कुमार ऋषि वर्मा	8
4.	अन्दर से आवाज बहुत है - श्रीमती किरन कान्ती	9
5.	औषधि भी है फलों का राजा आम - गौरी शंकर वैश्य 'विनम्र'	10
6.	गर्मियों में कैसे निबटें पसीने की दुर्गंध से - विभा खरे	14
7.	उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को ग्रामस्तर तक पहुँचाने में सराहनीय योगदान के लिए सहकारिता मंत्री को इफको द्वारा किया गया सम्मानित	16
8.	बादल कितनी राह तुम्हारी लंबी - हरी राम यादव फैजाबादी	17
9.	वनाग्नि : कारण और समाधान - डा० दीपक कोहली	18
10.	सत्ता विकेंद्रीकरण मूल्यां की आधारशिला-"स्थानीय स्वशासन" - श्रीमती राजश्री दुबे,	22
11.	जिंदगी के टेढ़े-मेढ़े पथ - लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	25
12.	सिर्फ काम ही आपकी जिन्दगी नहीं है - चन्द्रकान्ता शर्मा	26
13.	बड़ा मजा बाटे किसानों में - बट्टी प्रसाद वर्मा अनजान	27
14.	जन-जन के जीवन से जुड़े हैं हमारे वन - प्रो. (डॉ.) भागचन्द्र जैन	28
15.	जहर मुक्त खेती एवं पर्यावरण संरक्षण - अखिलेश सिंह चन्देल	32
16.	जनसंख्या वृद्धि एक हाइड्रोजन बम - श्रीमती दीप माला सिंह	36
17.	रक्तदान से दें जिंदगी का उपहार - आकांक्षा यादव	39
18.	बिखरे ना परिवार हमारा - अंकुर सिंह	42

सहकारी बन्धुओं व पाठकों से अपील

समस्त पाठकों, सहकारी जगत से जुड़े सरकारी व संस्थागत अधिकारी, कर्मचारी तथा सहकारी बन्धुओं से अनुरोध है कि आप अपने जीवन से जुड़ी कोई विशेष उपलब्धि / उत्कृष्ट कार्य हेतु संतुलित व्याख्या, सुझाव व विचार "सहकारिता" मासिक पत्रिका, यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) पर भेज सकते हैं, या फिर ई-मेल sahkarita@gmail.com पर कर सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।

- प्रभारी सम्पादक



सुनील कुमार दिवाकर



सम्पादक की कलम से

आज ही नहीं अनादि काल से भारतीय कृषि में छोटे-छोटे रूप यानी कि मिश्रित खेती का समावेश हुआ करता था। खेती की तैयारी से लेकर बुआई, कटाई, गुड़ाई, निकाई आदि सभी प्रकार के कृषि कार्य किसानों द्वारा ही किए जाते हैं। कृषि कार्यो को अधिक और जल्दी पूरा करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए प्रायः अधिकांश हर कृषक अपने पास एक बैल जोड़ी या भैंसा की जोड़ी रखता है। भैंसा की जोड़ी तराई क्षेत्र या दोमट मिट्टी वाले इलाके में अधिक देखी जाती है। बैल की जोड़ी लगभग सर्वत्र पूरे भारत भूमि पर देखी जाती है जो अधिकांशतः हल जोतने, बैलगाड़ी खींचने, कोल्हू खींचने, पुड़ाही खींचने, कटाई, मड़ाई का कार्य करने और आवश्यक कृषि सामग्री और अनाज को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी या अन्य सामग्री को आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों में हर किसान या हर घर में लिए, हर आदमी, बच्चे के लिए समय के अनुसार दूध की आवश्यकता होती है इसलिए हर परिवार एक या दो या अधिक गाय या भैंस का पालन अवश्य ही करता है। शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर दुधारू पशुओं का होना सामान्यतः बात हुआ करती थी। आज इन दुधारू पशुओं की संख्या शहरों में कम होती जा रही है सामान्य मनुष्य इन दुधारू पशुओं का दूध के बजाय मांस को अधिक पसन्द करने लगा है इस लिहाज से पशुओं की संख्या में कमी आ रही है जबकि मानव की जनसंख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। कभी यह समय था कि हमारी जनसंख्या सीमित हुआ करती थी और खेती का रकबा बड़ा हुआ करता था उससे जो खाद्यान्न उत्पादन होता था पर्याप्त होता था, परन्तु धीरे-धीरे हम पर जनसंख्या का बोझ कुछ इस कदर बढ़ा कि खाद्यान्न और दूध आम जन से, बच्चों से दूर होता नजर आने लगा। रोजमर्रा की सामग्री नमक, रोटी, दूध के भाव आसमान छूने लगे। कभी लहसुन, तो कभी प्याज, तो कभी दाल आम आदमी की पहुँच से दूर हो गये। नमक, रोटी की कहावत अब झूठी होने लगी।

हमारी आवश्यकता बढ़ी जनसंख्या बढ़ी, खेत खलिहान, बाग आदि शहरों में तबदील हो रहे हैं और बढ़ी मांग की पूर्ति के लिये कृषि से अधिक कृषि उत्पादन की जरूरत पड़ने लगी। हमने कृषि के लिए उन्नत बीज तैयार किया, खेती के उक्त उत्पाद के बीजों से अपने पेट भरने के लिए आवश्यक रसायनिक उर्वरक तथा सिंचाई की आवश्यकता बढ़ती गयी और आज परिणाम स्वरूप छोटे, मध्यम तथा बड़े बॉधों का निर्माण शुरू हुआ ताकि कृषि की प्रमुख आवश्यकता जल की भरपाई की जा सके। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमुख तीन श्रोत अच्छा बीज भरपूर उर्वरक तथा जल को पाकर उत्पादन की क्षमता दो से तीन गुना तक बढ़ाई जा सकती है एक ओर जहां हम अनाज बाहर से मंगाते थे अब बाहर भेजने के लिय भी हमारी क्षमता बढ़ गयी। बढ़ती जनसंख्या पारिवारिक बंटवारे से घटती खेती की जोत और कृषि के लिए प्रमुख आदानों की बढ़ती कीमतों से हमारी कृषि नफा के बजाय नुकसान देने लगी। कृषि के नवीनीकरण की दौड़ में हमारी प्रगति तो हुई इसमें कोई शंका नहीं परंतु लाभकारी खेती में हम पिछड़ गये तब जाकर हमें हमारी कृषि की पुरानी पद्धति याद आई जिसमें हम पशुपालन करके खेती से मिले अवशेषों का भरपूर उपयोग करके अतिरिक्त आय भी करते थे। खेती के अवशेष को हमारा पशुधन आसानी से उपयोग कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्व पूर्ण भूमिका निभा रहा है। □




सहकारिता मंत्री ने उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० की अलीगंज शाखा के नवीन भवन का किया शुभारम्भ

उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे.पी.एस. राठौर ने उ.प्र. को-आपरेटिव बैंक लि. की अलीगंज शाखा के आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से युक्त, पूर्णतया वातानुकूलित नवीन भवन का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि बैंक की सभी सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जहाँ-जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं, वहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कल्याणकारी राज्य के रूप में सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। सहकारी बैंक अपनी 40 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश में ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं यथा-यूपीआई, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम-पासबुक एवं लाकर्स आदि सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा बैंक द्वारा एमएसएमई योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,

- ❑ अलीगंज शाखा का नवीन भवन आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से पूर्णतया युक्त होगा
- ❑ सहकारी बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उ.प्र. की इकोनामी को वन ट्रिलियन डालर बनाने में दे रहा योगदान
- ❑ वित्तीय वर्ष-2023-24 में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हुआ व्यवसाय
 - जे०पी०एस० राठौर, सहकारिता मंत्री पी.एम. विश्वकर्मा योजना एवं पी.एम. स्ट्रीट वेन्डर योजना के साथ-साथ गृह ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स ऋण आदि ऋण सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराते हुए उ.प्र. की इकोनामी को एक ट्रिलियन डालर पहुँचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। यह भी बताया कि उ.प्र.



कोआपरेटिव बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में कुल ₹. 25000.00 करोड से अधिक का व्यवसाय किया गया जिसके लिए बैंक के शीर्ष प्रबन्धन एवं कार्मिकों की प्रशंसा की गयी। इस अवसर पर मंत्री ने बैंक के सम्मानित ग्राहक राजेश शर्मा, सी.पी. शुक्ला, श्रीमती अल्का अग्निहोत्री, श्रीमती नीतू वर्मा, संतोष कुमार गुप्ता एवं अन्य ग्राहकों को सम्मानित किया गया तथा बैंक के ग्राहक रवि कुमार एवं अशीष कुमार सिंह को ₹0 17.00 लाख आवास ऋण के चेक वितरित किये गये।

बैंक के अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह बताया कि उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक अपनी 40 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के 23 जनपदों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा अलीगंज शाखा द्वारा विगत 43 वर्षों से अलीगंज क्षेत्र में अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट कोटि की बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा बैंक की अन्य शाखाओं को भी इसी प्रकार अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से लैस किया जा

रहा है। बैंक के प्रबन्ध निदेशक आर0के0 कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक वर्ष 1944 में स्थापित हुआ तथा तब से बैंक लगातार लाभ अर्जित कर रहा है तथा बैंक का नेट एनपीए शून्य है एवं बैंक की अलीगंज शाखा 1981 में खोली गयी तब से अनवरत क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है एवं शाखा के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नाबार्ड द्वारा बैंक की व्यवसायिक प्रगति के आधार पर बैंक को 'ए' श्रेणी प्रदान की है।


आर0के0 कुलश्रेष्ठ द्वारा बैंक के सम्मानित ग्राहकों को बैंक से लम्बे समय से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं क्षेत्र के लोगों से बैंक की सेवाओं से लाभान्वित होते हुए बैंक से जुड़ने की अपील की गयी। इस अवसर पर सहकारिता विभाग, उ0प्र0 के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य उपस्थित रहे। □□

हमारी शिक्षा पद्धति कितनी उपयोगी?

पशु से मानव को भिन्न करने वाला ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन हैं-भ्रमण, सत्संग और शिक्षा। शिक्षा इनमें प्रमुख है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति के तीन स्तर हैं-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। उच्च शिक्षा का भवन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नीव पर खड़ा है। यह नीव अब मजबूत नहीं रह गई है। फलतः इस नीव पर खड़े उच्च शिक्षा के भवन को कमजोर होना स्वाभाविक है।

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अंगरेजी राज की स्थापना हुई। इस काल में लार्ड मैकाले भारत आया। 2 फरवरी 1835 को उसने वह कुख्यात मिनट (नोट) दर्ज किया जिने भारतीय संस्कृति की विरासत को कूड़ा करार दिया गया। मिनट में यह भी लिखा गया कि अंगरेजी को तात्कालिक प्रभाव से ज्यादा तहजीर दी जाए। मिनट में यह भी लिखा गया "हमें अभी एक ऐसा वर्ग बनाना है जो अंगरेजों और भारत की करोड़ों जनता के बीच संवाद का काम करे। वे लोग रंग और रूप से हिन्दुस्तानी होंगे लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और ज्ञान के मामले में अंगरेज होंगे।" अंगरेजी शासनकाल में जो भी विश्वविद्यालय खोले गए उनका उद्देश्य अंगरेजों का हित करना मात्र था। जो युवक उच्च शिक्षा संस्थाओं से निकले उनमें अधिकांश अंगरेजी और अंगरेज परस्त थे।

1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तब भारतीय विचारकों और कर्णधारों ने चली आई शिक्षा पद्धति में सुधार करने का प्रयास किया ताकि स्नातक और परास्नातक मस्तिष्क, मन और तन से बलिष्ठ हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर



डॉ० ओ.पी. मिश्र,
डी.लिट (अर्थशास्त्र)

अखिल भारतीय साहित्य परिषद प्रान्त

सम्मान-2023

अवन्तीबाई साहित्य सम्मान-2021

विद्या भूषण सम्मान-2014

आयोगों और समितियों का गठन हुआ। इनकी संस्तुतियों के अनुसार पाठक्रमों और माध्यम में परिवर्तन हुआ। जो उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी निकले भी वे ज्ञान और चरित्र से नहाए (स्नातक) नहीं पाए गए। वे न जीवन को सफल बना पाए और न उचित जीविका चलाने में समर्थ हो सके। मेरी मान्यता है कि गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग किए और सत्य दम तोड़ बैठा। उसी प्रकार उच्च शिक्षा के साथ प्रयोग होने से उच्च शिक्षा केवल संज्ञा में रह गई। लेखक 45 वर्ष उच्च शिक्षा और शोध से जुड़ा रहा। एम0ए0 उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र की मौखिक परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी चुप रहे। एक परीक्षार्थी (रेगुलर) ने काली मुद्रा का अर्थ काली भैंस बताया। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम 2-4 परीक्षार्थियों ने ही बताया। पुस्तक का पूरा नाम कोई नहीं बता सका। क्या इन्हें एम0ए0 कहा जा सकता है ? कला संकाय के अन्य विषयों की भी यही स्थिति है। शोध भी स्तरीय नहीं है। अधिकांश शोध प्रबन्ध मौलिक नहीं है। शोध प्रबन्ध मोटे तो हैं किन्तु प्रकाश लायक नहीं। इन्हे शोध प्रबन्ध न कहकर शोध प्रबन्ध कहना अधिक उपयुक्त होगा।

पिछले कई वर्षों से शिक्षक का वेतन हजारों में हैय सुख-सुविधाएँ अलग। दुःख का विषय है कि कुछ शिक्षकों को छोड़कर शेष धनी बनने के प्रयास में हैय ज्ञानी नहीं। क्या आज विश्व विद्यालयों में प्रो० जे.के. मेहता, श्यामा चरण दुबे, प्रो० आर.पी.

त्रिपाठी, प्रो० ओम प्रकाश पाण्डेय, डॉ० बाबूराम सक्सेना, प्रो० अमरनाथ झा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो० रंधीर सिंह, प्रो० नामवर सिंह आदि जैसे शिक्षक हैं?

सरकार भी शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं देती। जी.डी.पी. का केवल 3.8 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है। परिणाम यह है कि शिक्षा संस्थाएँ सुविधाओं से वंचित हैं। समाज में शिक्षक का वह आदर भी नहीं है जो एक साधारण विधायक का है। यही कारण है कि शिक्षक आई.ए..एस., आई.पी.एस. विधायक, एम०पी० आदि होने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपने ज्ञानकोश को बढ़ाने में कम। वे आधे मन से पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को उनसे कुछ ज्यादा मिलता नहीं।

स्ववित पोषित महाविद्यालयों से सफल और सुयोग्य विद्यार्थियों का निकलना स्वप्नवत है। जिनके प्राचार्य और प्रबन्धक संस्था में नकल नहीं होने दी, वे बंद हो गए। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे महाविद्यालयों से नकल के बल पर डिग्री ले रहे हैं। वे डिग्रीधारी

हैं, ज्ञानधारी नहीं। ऐसे छात्र अपने लिए ही उपयोगी नहीं हैं।

नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान-फलक का विस्तार है। सेमेस्टर सिस्टम का फल यह है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत कम है। साल भर परीक्षाएँ होती रहती हैं। विद्यार्थियों के पल्ले बहुत कम पड़ता है। मौखिकी तथा परीक्षाओं का कुशल संचालन देखने के लिए जो शिक्षक जाते हैं अधिकांशतः लिफाफे की मांग करते हैं। क्या इसका कुप्रभाव अन्य शिक्षकों पर नहीं पड़ता ? सारांश यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति का क्रियान्वयन दोषपूर्ण है। यह न विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और अन्ततः न समाज के लिए। □

पता : 610/368 जी,
केशवनगर, सीतापुर रोड,
लखनऊ-226020
मो० : 9559419018

दो जून की रोटी

दो जून की रोटी
यों ही नहीं मिलती
कोई कड़ी धूप में चलाए फावड़ा,
चलाएं कुदाली
कोई करता साफ गंदी नाली ।

दो जून की रोटी
यों ही नहीं मिलती
कोई तेज धूप में खींचता रिक्शा
कोई रात-रातभर जागे
मेहनत करे कल कारखानों में....



- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

दो जून की रोटी
किसी को मिलती बड़ी मुश्किल से तो
कोई काजू, बादाम, पिस्ता उढ़ाए
जब मेहनत और किस्मत रंग दिखाये
रे हरिया! जीवन बदल जाये ।

पता : ग्राम रिहावली, पोस्ट तारौली
गूजर, फतेहाबाद, आगरा,
उत्तर प्रदेश 283111 सम्पर्क : 9456994678

अन्दर से आवाज बहुत है

दिल तुम से नाराज बहुत है
मूल हमारा क्या दो गे तुम,
तुम पर मेरा ब्याज बहुत है।
दिल तुम से नाराज बहुत है।

ऊपर-ऊपर चुप है लेकिन,
अन्दर से आवाज बहुत है।
इतना क्या है तुममे आगर,
किस पर ये अभिमान बहुत है।
दिल तुम से नाराज....

मुझको गुजरा वक्त न समझो
समझ तेरी नादान बहुत है।
दिल तुम से नाराज....

हम ना चाहें अर्स धरा कुछ
बस थोड़ा सम्मान बहुत है।
दिल तुम से नाराज बहुत है।

□□□



श्रीमती किरन कान्ती

प्रशासनिक अधिकारी, (कम्प्यू0सेल)
कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

पता :

304 पिंग सिटी कालोनी,
बुद्धेश्वर चौराहा, मोहान
रोड, लखनऊ।

मो0 : 7071553009



औषधि भी है फलों का राजा आम

आम को मीठी सुगंध और मनमोहक मिठास के कारण ही 'फलों का राजा' कहा जाता है, इसको संस्कृत में आम्र और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम 'मैंगीफेरा इंडिका' है। यह भारत का 'राष्ट्रीय फल' होने के साथ-साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी 'राष्ट्रीय फल' है। इसको पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत में बसने पर मैंगो के रूप में अपनाया था। आम भारत के धार्मिक अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अनिवार्य रूप से जुड़ा है। शुभ अवसरों पर दरवाजे पर इसके पत्तों के वंदनवार सजाए जाते हैं। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा अपनी रचनाओं में की है। सिकंदर और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसके स्वाद का आनंद लिया है। स्वयं महात्मा बुद्ध को एक आम्रकुंज भेंट किया गया था, जिससे वे उसकी छाँव में विश्राम कर सकें। आम की टोकरी उपहार में देना मित्रता का प्रतीक है। आम के पेड़ 300 वर्ष पुराने अब भी धरती पर विद्यमान हैं, इनमें मौसम पर फल भी आते हैं। आम बांग्लादेश का 'राष्ट्रीय पेड़' माना गया है।

हमारे देश में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर प्रायः सभी स्थानों पर पैदा होता है। हमारे यहाँ आम की सैकड़ों किस्में हैं। आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ टन आम पैदा



- गौरी शंकर वैश्य विनय
पूर्व सीनियर पोस्ट मास्टर,
डाक विभाग

होता है, जो विश्व के उत्पादन का 52 प्रतिशत है।

आम एक ऐसा फल है, जो छोटे और बड़े सभी को पसंद है। आजकल तो आम पूरे वर्ष मिलता है, किंतु इसका मुख्य मौसम गर्मियों में होता है। इसका वृक्ष घना, छायादार और बड़ा फलदार होता है। इसका फल गूदेदार, गुठलीवाला, मीठा, स्वास्थ्यप्रद एवं बलवर्द्धक होता है। आम कई रोगों के लिए औषधि है। यह अमीरों के लिए भोजन की शोभा और गरीबों के लिए भूख मिटाने का उत्तम साधन है।

विश्व प्रसिद्ध है लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी मलिहाबाद के अंतर्गत 30 हजार हेक्टेयर

क्षेत्रफल में मैंगो बेल्ट फैला हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों एवं जनपदों की मण्डियाँ मलिहाबादी दशहरी की मांग करती हैं। ताजा और सर्वोत्तम दशहरी आम का खाड़ी देशों सऊदी अरब, मस्कट, दुबई, बहरीन, यूएई जैसे देशों में लंबे समय से डंका बज रहा है। 2016 से यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, हंगरी जैसे देशों में भी दशहरी की आपूर्ति हो रही है।

आम की लगभग 400 प्रजातियां हैं। इनके आकार भी बेर जैसे छोटे से लेकर पपीते जैसे बड़े होते हैं। सहारनपुर (उ प्र) का 'हाथी झूल' नाम के एक आम का वजन लगभग 4-5 किलोग्राम होता है। कई बड़े शहरों में आम की प्रदर्शनियां भी लगती हैं, जहाँ आमों के शौकीनों की भीड़ एकत्र होती है। दिल्ली (भारत) में प्रतिवर्ष 'अंतरराष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल' का आयोजन होता है, जिसमें आम की कई किस्मों की प्रदर्शनी लगती है। इसी प्रकार आम खाने की भी कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आम कई रंगों में आते हैं, जैसे हरा, पीला, लाल, सिंदूरी।

भारत में उगाई जाने वाली किस्मों में दशहरी, लँगड़ा, फजली, चौसा, बंगलपन्नी, सिंदूरी, हिमसागर, अलफान्जो, केसर, राम भोग, सफेदा, किशनभोग, मुसरद, हाथीझूल, नीलम, मनकुरद, मालदा, वनराज, बादामी, जर्दालू आदि हैं। लगभग 50 नई किस्मों में मल्लिका, तोतापरी, आम्रपाली, रत्ना, अर्का अरुण, अनमोल आदि हैं। भारत के आम उत्पादक के प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, बिहार, हैदराबाद, तमिलनाडु हैं।

घट रहे हैं आम के देशी बड़े पेड़

आम के छोटे कद के पेड़ों से जल्दी और अधिक एवं बड़े फल पाने की दौड़ के कारण देशी बड़े पेड़ कोई रोपना नहीं चाहता। आम के बड़े पेड़ों में आम खूब लदते थे, पकने पर मोटे गूदेदार और खट्टे-मीठे रस से भरे होते थे। उन्हें काटकर खाने के बजाय चूस कर खाया जाता था। डाल से टपके आम को 'टपका' कहा जाता था, जो कुछ घंटे बाल्टी में भिगोकर रखे जाते थे। अब ऐसे अनोखे स्वाद वाले देशी फलदार आम के पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। कुछ किसान आम की फसल से समुचित लाभ नहीं पाते और वे गन्ना-केला जैसी नकदी फसलों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति

पर्यावरण की दृष्टि से भी चिंतनीय है। अतः वन विभाग द्वारा लोगों को आम के पेड़ों की उपयोगिता बताते हुए उन्हें आम के बड़े पेड़ लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य-रक्षा में आम का उपयोग

पका आम स्वाद में मधुर, ठंडा, बलवर्धक, धातुवर्धक, पौष्टिक, भारी, त्रिदोषनाशक, जठराग्नि-उद्दीपक तथा शौच साफ करने वाला है। आम रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें उपस्थित विटामिन सी एलर्जी की समस्या को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क को तेज रखने में सहायक होता है।

यह वायु, पित्त, थकान एवं अरुचि को दूर करने वाला है तथा शरीर में चर्बी और मूत्र की मात्रा बढ़ाता है। अच्छा आम वृक्ष से तोड़ने के बाद घास के बीच कृत्रिम गरमी से पकाने पर गुणकारी बनता है।

पके आम से रक्त में हीमोग्लोबिन (लालकण) बढ़ते हैं एवं कफदोष घटता है। दूध के साथ अच्छा पका आम खाने से टानिक का काम करता है। इससे आँत, पेट और फेफड़ों के कई रोग दूर होते हैं। यह कमजोरी, बहुमूत्र और प्रमेह को मिटाता है। पका आम दुर्बल-कृश लोगों को पुष्ट बनाने के लिए सर्वोत्तम औषधि और खाद्य फल है।

देशी आम को चूसकर खाते हैं, इसमें रस पतला होता है और रेशा होता है, जबकि कलमी आम में रेशा कम होता है, जिसके कारण उसे काटकर खाते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से देशी आम अधिक गुणकारी माने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पका आम पेट को मृदु बनाने वाला, पौष्टिक, विरेचक तथा त्वचा के रोग नाश करने वाला होता है। यूनानी हकीमों के अनुसार पका आम आलस्य को दूर भगाता है, टीबी को मिटाता है और गुर्दे के लिए शक्तिदाता है। आहार में केवल दूध एवं पके आम का रस लेने से कुष्ठ रोग मिटता है। जिस आम का छिलका पतला, गुठली छोटी हो और जिसमें रेशा न हो, ऐसा आम मांस और धातु के लिए उत्तम पोषक होता है। मधु के साथ पके आम के सेवन से वायु और कफ दोष दूर होता है। आम के रस में घी डालकर सेवन करने से वह बलवर्धक,

जख्म भरने वाला तथा वायु-पित्त नाशक बनता है। पके आम के रस के पापड़ (अमावट या अमचूर) प्यास, उल्टी और वायुदोष का निवारण करते हैं। पका आम चूस कर खाना आँखों के लिए हितकर है।

औषधियों के रूप में उपयोगी

लू लगने से बचाव

कच्चा आम स्वाद में खट्टा तथा तिक्त होता है। इसमें गुड़, धनिया, जीरा और नमक मिलाकर खा सकते हैं। भुने हुए या उबालकर कच्चे आम के गूदे में जल, चीनी, नींबू, नमक मिलाकर पीने से लू लगने से बचाव होता है तथा लू लग जाने पर पीने से लाभ मिलता है। इसको आम का 'पना' कहते हैं।

रक्तस्राव होने पर

खूनी बवासीर, आँतों से खूनी दस्त या प्रदर रोग में आम की छाल निकालें तथा छाल के अंदर वाला भाग निकालकर कूट-पीसकर उसका रस निकालें। इस छाल का काढ़ा बनाकर दस ग्राम रस सुबह-शाम लेने से लाभ होता है।

पेट के कीड़े होने पर

पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए गुठली के अंदर की गिरी पीसकर चूर्ण बना लें तथा एक ग्राम चूर्ण छाछ, दही या पानी के साथ सुबह-शाम सेवन करें।

जलने पर

आम की गुठली की गिरी को पानी में चंदन की भाँति घिसकर त्वचा के जले हुए भाग पर लेपन करने से जलन शांत होती है।

मकड़ी के विष पर

कई बार मकड़ी शरीर पर बैठकर विष छोड़ देती है, जिससे त्वचा पर फफोले हो जाते हैं। ऐसे में आम की गुठली की गिरी घिसकर लगाने से मकड़ी के विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

लीवर संबंधी समस्या पर

लीवर खराब होने से पाचनक्रिया कमजोर हो जाती है, खुलकर भूख नहीं लगती। ऐसी दशा में आम के पत्ते लाकर सुखा लें और पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को चाय की पत्ती की तरह पानी में उबाल लें, जिसमें पानी, दूध, बूरा या चीनी मिलाकर कुछ दिन पीने से लाभ मिलेगा।

दाद होने पर



आम का फल तोड़ने पर डंठल के पास से तरल पदार्थ निकलता है। इसको दाद पर लगाने से दाद समाप्त हो जाता है।

पायरिया में

आम की गुठलियाँ एकत्र कर सुखा लें। इसके अंदर की गिरी निकालकर उसे भलीभाँति कूट-पीसकर चूर्ण बना लें। उस चूर्ण से मंजन करें, इससे दाँतों के सारे रोग समाप्त हो जाएँगे और पायरिया भी दूर हो जाएगा।

मोटापा घटाएँ

आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के अनुसार आम मोटापा घटाने में सहायक है, लेकिन इसके लिए आम के फेंक दिए जाने वाले छिलके को खाया जाय। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया कि आम की कुछ प्रजातियों के छिलकों में ऐसे तत्व होते हैं, जो वसा कोशिकाओं के निर्माण को रोक देते हैं।

अन्य लाभ

● आम की जड़, कफ और वातनाशक, मलरोधक और शीतल होती है।

● आम के फल की गुठली कृमिनाशक होती है।

इसमें बहुत से पोषण तत्व होते हैं। आम की गुठली का पाँच ग्राम चूर्ण को दही के साथ खाने से जी मिचलाना और पेट की जलन दूर होती है।

● आम के पत्ते वात, पित्त और कफनाशक हैं और इनका चूर्ण मधुमेह रोग में लाभदायक है।

● आम के फूल भी त्रिदोषनाशक हैं। कच्चे फल गले के दोष और मूत्ररोग में लाभदायक हैं।

● कच्चे आम की खटाई बनती है, इसको

दाल या सब्जी में डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है, इससे आभूषण और बर्तन भी साफ किए जाते हैं।

● दो किलो कच्चे आमों को छीलकर काट लें। फिर दो लीटर पानी में पकाएँ। जब आधा रह जाए तब टंडा कर धो लें। फिर इस अर्क के समान चीनी मिलाकर पक्की चाशनी बना लें। इसको 'मैंगो जेली' कहते हैं, इसको खाने से स्वाद मिलता है और मन प्रसन्न होता है।

● ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को प्रायः फुंसियाँ हो जाती हैं, इसके लिए आम की छाल को पानी में घिसकर लगाएँ।

● चेहरे का सौंदर्य बढ़ाना हो, तो आम के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएँ। यदि बाल झड़ते हों तो आम के कोमल पत्ते और डंठल को पानी में उबालकर सिर धोएँ।

आम है विटामिनों से भरपूर

वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि आम में विटामिन ए, बी, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फाइबर और लौहत्व भी खूब होता है। यह एंटी-आक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। अनेक वैद्यों ने केवल आम के रस और दूध पर रोगी को रखकर क्षय, संग्रहणी, रक्तविकार, दुर्बलता इत्यादि रोगों को दूर करने में सफलता प्राप्त की है।

आम के सेवन से संबंधित कुछ सावधानियाँ

□ दूध के साथ कोई भी खट्टा आम न खाएँ। इससे रक्तविकार हो सकता है

□ लंबे समय तक रखा हुआ बासी रस वायुकारक, पाचन में भारी एवं हृदय के लिए अहितकर है। डिब्बों में पके आम के बासी रस का सेवन घातक है।

□ आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।

□ आम में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए जो व्यक्ति मोटे हों या मधुमेहरोगी हों, इसे कम खाएँ।

□ आम को एक साथ बहुत मात्रा में खाना हानिकारक हो सकता है। आम खाने के बाद मुँहासे हो जाते हैं। इसलिए इसे दही या सूखे फलों के साथ खाएँ।

□ आम का 'मैंगो शेक' घर में ही बना कर पियें। डिब्बा बंद आम का जूस या खुले में बिकने



वाले मैंगो शेक नकली एवं मिलावटी हो सकते हैं, जो शरीर को हानि पहुँचा सकते हैं।

□ आम डाल के पके ही खाने चाहिए, बेमौसम के या पाल के आम स्वादिष्ट नहीं होते और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

□ जब भी आम लाएँ, उसे कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोने के बाद ही सेवन करें।

□ आवश्यकता से अधिक या खाली पेट आम का सेवन न करें, क्योंकि ऐसा करने से पेट में दर्द की समस्या हो सकती है।

□ आमों पर काले धब्बे या खरोंच के निशान न हों।

□ ज्यादा कच्चे आम खाने से पेट में गैस या पेटदर्द हो सकता है।

□ आम के अधिक सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पेट खराब या उल्टी हो सकती है। इससे वसा और मधुमेह में वृद्धि हो सकती है।

□ बेमौसम या केमिकल से पके आमों के खाने से नुकसान हो सकता है, अतः इनके सेवन से बचें।

अंत में आम पर कुछ काव्य पंक्तियाँ निवेदित हैं -

कच्चे आम के सौ-सौ व्यंजन,

पके आम के बनें हजार।

लकड़ी हवन की समिधा बनत,

पत्तों के शुभ वंदनवार।

आम सम्मिलित पंचवटी में,

देता है संस्कृति-संस्कार

देश-विदेश में आम नाम की,

गूँज रही है जय-जयकार। □□

पता : 117 आदिलनगर, विकासनगर

लखनऊ 226022

दूरभाष 09956087585



गर्मियों में कैसे निबटें पसीने की दुर्गंध से...

ताजगी से भरपूर दिन की शुरुआत आपके समूचे दिन को सुखद बना देती है। तरोताजा महसूस करने पर आपका मन प्रसन्न रहता है और आप अपना काम भी मन लगा कर कर सकती हैं। यूं तो प्रातःकालीन स्नान आप में स्फूर्ति और ताजगी लाता ही है, फिर भी कुछ तरीके हैं, जिनका उपयोग करने पर आप सदैव ओस के समान ताजगी से भरपूर बनी रह सकती हैं।

नियमित शरीर की सफाई अति आवश्यक...

त्वचा शरीर की ऊपरी सतह होती है, जो लगातार काम करती रहती है। कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करने के साथ ही साथ यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है, इसीलिए शरीर से पसीना बनता है जो इसमें निहित छोटे-छोटे रोम छिद्रों से बाहर निकलता है। प्रतिदिन एक व्यक्ति के शरीर से औसतन आधा लीटर पसीना निकलता है।

पसीने में हल्की सी अम्लीय महक होती है। हालांकि किसी के शरीर की महक उसके पसीने पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह तैलीय ग्रंथियों से निकले तरल के कारण होती है। अतः नियमित शरीर की सफाई बहुत आवश्यक है, ताकि इस महक को दूर किया जा सके।

गरम पानी से स्नान करें, इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं। अब साबुन से मलकर शरीर की



डॉ. विभा खरे

सफाई करें, फिर ठंडे पानी से स्नान लें। यह खुले हुए रोम छिद्रों को बंद कर देता है। इस प्रकार स्नान लेने से ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है। भीनी भीनी महक के लिए आप अपने पानी में दुर्गंधनाशक कोलोन डालें। अब सूखे तौलिए से शरीर को पोंछ कर पाउडर छिड़कें, जो आपको तरोताजगी से भर देगा।

आपके शरीर की महक और पसीने की मात्रा विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है। जैसे भोजन, विचार, उम्र, जलवायु और आपका परिवेश जहां आप रहते हैं।

गर्म तथा चिपचिपे वातावरण से बचें...

नियमित स्नान करने का मतलब शरीर की सफाई है, जिसे लेने पर व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ महसूस करता है। लेकिन इससे शरीर की



महक दूर नहीं होती।

दुर्गंधनाशक और पसीनाविरोधी कुछ लोगों को पसंद होते हैं, क्योंकि यह कुछ हद तक पसीने को नियंत्रित करते हैं। पसीने को कम करने का उत्तम तरीका है गर्म और चिपचिपे वातावरण से बचना। ऐसे भोजन लें जिससे शरीर की महक प्रभावित न हो। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे - मेथी और लहसुन की महक रक्त में मिल जाती है जो पसीने की ग्रंथियों से बाहर निकलती है।

कुछ लोगों को अधिक पसीने की शिकायत होती है। इसका कारण कुछ बीमारियां भी होती हैं। जैसे - यकृत, थायरॉयड की बीमारियां या कुछ दवाइयों का असर ऐसे मामलों में तुरंत उपचार की आवश्यकता है। यदि नियमित सफाई के बावजूद महक बनी रहती है तो ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा किसी त्वचा के संक्रमण के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार की समस्या त्वचा के फटने, सूजन या मवाद के बनने के कारण हो सकती है। जिसमें स्नान आदि से लाभ नहीं हो सकता, इसके लिए उपचार निहायत जरूरी है।

पाउडर का छिड़काव उत्तम तरीका...

शरीर के कुछ भागों से तेज महक आना तीन बातों पर निर्भर करता है। प्रथम पसीना ग्रंथियों की किस्म जो बाहर निकालती है। ये त्वचा की सतह पर अलग होती है। दूसरा पसीना उत्सर्ग भाग की स्थिति जैसे कांख जहां से पसीने के वाष्पीकरण में बाधा आती है। जिससे महक बनी रहती है। अंतिम कीटाणुओं के एकत्र होने की मात्रा, कुछ भाग में ज्यादा मात्रा में एकत्र हो सकते हैं जैसे कांख में,

यह भी दुर्गंध का कारण हो सकता है।

शरीर के वे भाग जिन्हें हवा मिलती है और शरीर को आसानी से ऑक्सीजन मिलती है वहां पसीना का तेजी से वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे एक हद तक शरीर की महक कम हो जाती है। यह हाथ और सिर के भाग हैं। लेकिन बांह और पैर जो अधिकतर ढके रहते हैं, उनमें पसीने की महक अधिक समय तक बनी रहती है। अतः पैरों को रगड़ कर साफ करना और तुरंत सुखा लेना आवश्यक है। बाद में पाउडर का छिड़काव उत्तम तरीका है। जहां तक हो ऐसे में बंद जूतों से बचना चाहिए।

दूर तक फैली हुई ग्रंथियां छोटी पसीने वाली ग्रंथि होती है, जो शरीर की गर्मी को नियंत्रित करती हैं। तैलीय ग्रंथियों का अधिक महत्व है। ये समूचे शरीर में पायी जाती हैं, इनकी मात्रा सिर में अधिक है तथा हथेली और पैर के तलुवे में कम। इनकी कार्यक्षमता तापक्रम, तनाव और चिंता से प्रभावित होती है, जिसका शरीर को सामना करना पड़ता है। ये ग्रंथियां हारमोन के परिवर्तन से भी प्रभावित होती हैं। ये तैलीय पदार्थ निकालती हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, वसीय अम्ल और मोम निहित होता है। यद्यपि इस द्रव में महक बहुत कम होती है। लेकिन यह पसीने के साथ मिलकर उसके वाष्पीकरण को रोकता है। इसके अतिरिक्त यह धूल कणों को आकर्षित करता है, चिपचिपा होने के कारण धूल-कण इस पर चिपक जाते हैं। इससे शरीर में महक उत्पन्न होती है।

अंदरूनी वस्त्रों की सफाई का ध्यान रखें...

अपने अंदरूनी वस्त्रों को दिन में दो बार बदलें और अंदरूनी अंगों की बराबर सफाई करें। ये आदत बच्चों में शुरू से ही डालनी चाहिए। ताकि स्वच्छता की आदत उनके पनप सकें।

बहुत बार टॉयलेट से आने के बाद लोग अपने हाथ साफ नहीं करते। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं है, अन्य लोगों को भी यह अच्छा प्रतीत नहीं होता। महिलाओं को माहवारी के दौरान अधिक स्वच्छ रहने की आवश्यकता है।



उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को ग्रामस्तर तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान के लिए सहकारिता मंत्री को इफको द्वारा किया गया सम्मानित

□ सम्मान के रूप में सहकारिता रत्न पुरस्कार एवं 11 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गयी उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को जन-जन तक पहुंचाने, प्रदेश की कमजोर जिला सहकारी बैंकों को फिर से पुनर्जीवित करने तथा मात्र एक माह में 30 लाख कृषकों को पैक्स का सदस्य बनवाने में सहकारिता मंत्री जे0पी0एस0 राठौर के अतुल्यनीय योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2022-23 के लिए "सहकारिता रत्न पुरस्कार" से इफको द्वारा सम्मानित किया गया।

इस आशय की जानकारी देते हुए इफको के प्रबन्ध निदेशक उदय शंकर अवस्थी द्वारा बताया गया कि इफको के निदेशक मण्डल द्वारा भारत के सहकारिता आन्दोलन को विकसित करने एवं उसे मजबूत कराने में जे0पी0एस0 राठौर, सहकारिता मंत्री के अनन्य योगदान के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सहकारिता रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह पुरस्कार सहकारिता आन्दोलन को, विशेषकर आम-जन से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सहकारिता बन्धुओं को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार में रू0 11.00 लाख की नगद धनराशि एवं एक प्रशस्ति-पत्र सहकारिता मंत्री को प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री को दिया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उक्त पुरस्कार एन0सी0यू0आई0, आडिटोरियम, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में सहकारिता मंत्री को प्रदान किया गया।

दुर्गंधनाशक प्रयोग करना उचित... कांख में सदैव दुर्गंधनाशक और पसीनावरोधी का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं होता, फिर भी कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। दुर्गंधनाशक में एंटीसेप्टिक तत्व पाये जाते हैं जो कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। यद्यपि ये शरीर की दुर्गंध को दबाने में सहायक हैं, लेकिन पसीने को कम नहीं करते। जबकि अधिक पसीना आने पर दुर्गंधनाशक का असर समाप्त हो जाता है। दुर्गंधनाशक के बारे में धारणा है कि इससे सूजन, खुजली और चकत्ते पड़ जाते हैं, इसके लिए आप दूसरी ब्रांड को लेकर जांच कर सकते हैं। बदलाव

से अंतर आ सकता है। हो सकता है, आपको कोई भी आपके अनुकूल मिल जाये। महक वाले दुर्गंधनाशक में तुरंत ही एलर्जी का पता चल जाता है। यदि ऐसा हो तो उसका प्रयोग कर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके विपरीत पसीनावरोधी में अल्यूमिनियम रहता है, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, अतः पसीना कम निकलता है। इसे अधिक समय तक उपयोग करने की सलाह नहीं दी जा सकती है।

उपर्युक्त विधियां आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उपयोगी तरीके हैं, जिनसे आप तरोताजा और स्वस्थ रह सकते हैं। □□

पता : जी-9, सूर्यपुरम्, नन्दनपुरा,
झाँसी-284003 सम्पर्क : 9415055655



बादल कितनी राह तुम्हारी लंबी

आओ बादल गांव हमारे,
तुमको धरती गगन पुकारें।
आसमान में सुबह शाम,
सबकी नजरें तुम्हें निहारें।

जब तुम नीले आसमान में,
गांव की धरती से जाते दीख।
आशा में आंखें उठती चमक,
जल जाता खुशियों का दीप।

बाग, तड़ाग सब सूख रहे हैं,
सूख रहे हैं खेत, वन उपवन।
नीचे का पानी अब नीचे जाए,
तुम बिन न लगे कोई यतन।

बादल कितनी राह तुम्हारी लंबी,
बोलो तुम अब तक क्यों न आये।
निशि दिन देखत राह तुम्हारी,
मन का धीरज अब चुकता जाए।।



- हरी राम यादव फैजाबादी
भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्र लेखक

सूरज सुबह से रोज शाम तक,
गगन से आग का गोला बरसाए।
आओ तुम झमक कर बरसो,
पूरी धरती पानी पानी हो जाए ।।



पता : सतगुरु पुरम कालोनी, चरन भट्टा रोड,
निकट एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ
मो. -7087815074



कारण और समाधान

प्रस्तावना :

हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिलों में बड़े पैमाने पर वनाग्नि ने एक बार फिर से आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय सुरक्षा, बहुमूल्य वनस्पति एवं वन्यजीवों के संरक्षण जैसे बहुत से प्रश्नों पर विचार करने को विवश कर दिया है। प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम आते ही देश के पहाड़ी राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड के वनों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वार्षिक आयोजन जैसी बन चुकी उत्तराखंड के वनों की यह आग प्रत्येक वर्ष विकराल होती जा रही है, जो न केवल जंगल, वन्यजीवन और वनस्पति के लिये नए खतरे उत्पन्न कर रही है, बल्कि समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर अब इसका प्रभाव नजर आने लगा है।

वनाग्नि :

जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलने वाली आग को वनाग्नि या जंगली की आग कहा जाता



डा० दीपक कोहली,

विशेष सचिव, नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

मो० : 945410037

है। इसमें पौधे, जानवर, घास के मैदान, जो भी उसके रास्ते में आते हैं सब जलकर राख हो जाते हैं। जंगलों में चलने वाली तेज हवा के कारण यह आग अनियंत्रित होकर बड़े भू-भाग में फैल जाती है,

जिससे वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगल में लगने वाली आग आमतौर पर, लंबे समय तक जलती रहती है। इसका मुख्य कारण, जलवायु परिवर्तन होता है। यह आग जंगल में स्थित सूखी लकड़ियां या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण फैलती जाती है। कई बार जंगलों में लगने वाली आग का कारण बिजली गिरना या अत्यधिक सूखी लकड़ियां या पेड़ पौधों के सुखे पत्ते भी होते हैं।

पिछले कुछ सालों से गर्मी के कारण कई देशों में जंगलों के एक बड़े हिस्से में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से अब तक सैकड़ों किलो मीटर के जंगल जलकर खाक हो गए हैं। जंगल की आग या वनाग्नि के पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया को जंगल की धधकती आग ने और बड़े संकट में डाल दिया है।

वनाग्नि के प्रकार :

वनाग्नि मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है :

1. सतही आग : वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग के रूप में होती है जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल जाती हैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं।

2. भूमिगत आग : कम तीव्रता की आग, जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है।

इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है। यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कई महीनों तक जलते रह सकते हैं और मृदा से वनस्पति तक के आवरण को नष्ट कर सकते हैं।

3. कैनोपी या क्राउन फायर : ये तब होता है जब वनाग्नि पेड़ों की ऊपरी आवरण/वितान के माध्यम से फैलती है, जो प्रायः तेज हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के कारण भड़कती है। ये विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती हैं।

4. कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर : कुछ मामलों में, कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर, जिसे निर्धारित वनाग्नि या झाड़ियों की आगजनी के रूप में भी जाना जाता है, इच्छित तौर पर या जानबूझकर वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा ईंधन भार को कम करने, अनियंत्रित वनाग्नि के जोखिम को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये लगाई जाती है। जोखिमों को कम करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिये इन नियंत्रित अग्नि की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है।

वनाग्नि के कारण :

दरअसल वनाग्नि के कारण केवल वनों को ही नुकसान नहीं पहुँचता है बल्कि उपजाऊ मिट्टी के कटाव में भी तेजी आती है, इतना ही नहीं जल संभरण के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। वनाग्नि का बढ़ता संकट वन्यजीवों के अस्तित्व के लिये समस्या उत्पन्न करता है। यँ तो वनों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक कारण हैं, जिनकी वजह से विशेषकर गर्मियों के मौसम में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। उदाहरण के तौर पर- मजदूरों द्वारा शहद, साल के बीज जैसे कुछ उत्पादों को इकट्ठा करने के लिये जान-बूझकर आग लगाना। कुछ मामलों में जंगल में काम कर रहे मजदूरों, वहाँ से गुजरने वाले लोगों या चरवाहों द्वारा गलती से जलती हुई किसी वस्तु/सामग्री आदि को वहाँ छोड़ देना। आस-पास के गाँव के लोगों द्वारा दुर्भावना से आग लगाना। मवेशियों के लिये चारा उपलब्ध कराने हेतु आग लगाना। बिजली के तारों का वनों से होकर गुजरना। प्राकृतिक कारण यथा-बिजली का गिरना, पेड़ की सूखी पत्तियों के मध्य घर्षण उत्पन्न

होना, तापमान में वृद्धि होना आदि की वजह से वनों में आग लगने की घटनाएँ सामने आती हैं।

परंतु, यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वनों में अतिशय मानवीय अतिक्रमण या हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार की घटनाओं में बारंबरता देखने को मिली है।

पर्यावरण पर प्रभाव :

वन ही हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं, इसलिए जंगल में आग लगने की लगातार हो रही घटनाओं से समस्त जीवों के लिए संकट खड़ा हो गया है। डाउन टू अर्थ पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष वनाग्नि से लगभग 1.76 बिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। इस वजह से हवा में जहरीला धुंआ घुल रहा है। आग लगने की घटनाओं को लेकर वन विभागों ने दावा किया है कि इनमें से कई घटनाएँ मानव निर्मित भी होती हैं, कभी-कभी जानबूझकर भी जंगलों में आग लगाई जाती है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने भारत समेत दुनिया भर में के जलवायु परिवर्तन पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों को चिंता में डाल दिया है। वनाग्नि एक वैश्विक चिंता बन गई है क्योंकि इससे कई देशों को वन में रहने वाले जीवों के साथ-साथ संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, जंगल की आग के कारण हवा में मिलने वाली जहरीली कार्बन डाइआक्साइड से मनुष्यों में फेफड़े और त्वचा में संक्रमण भी होता है। वनाग्नि से होने वाले पेड़ों का नुकसान जलवायु परिस्थितियों को बाधित कर सकता है, जिससे कार्बन श्रृंखला टूटने का खतरा है। जंगल की आग में कई जानवरों की मौत हो जाती है, वहीं, कुछ जानवरों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे शहरो और गांवों की ओर भागने लगते हैं। आग से जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत में वनाग्नि का समय :

भारत में, जंगलों में आग आम तौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान लगती है, जब जमीन सूखी लकड़ियों, घास, खरपतवार और सूखे

पत्तों से भर जाती है। कुछ उदाहरणों में तापमान अधिक होने के समय सूखे पेड़ों की शाखाओं के आपस में रगड़ने से होने वाले घर्षण से भी जंगल में आग लग जाती है। पिछले साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड-मणिपुर सीमा पर लंबे समय तक आग लगी रही। ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में भी फरवरी और मार्च के महीनों में जंगल में भीषण आग लगने की घटना हुई थी। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वन रिजर्व और गुजरात में अभयारण्यों में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएँ हुई थी। उत्तराखंड में पिछले साल छह महीनों में जंगल में आग लगने की लगभग 1,000 घटनाएँ हुई थी।

वनाग्नि के प्रभाव :

भारत में जंगलों में रहने वाले कई परिवार और समुदाय भोजन, चारे और ईंधन के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमारे देश में जंगल की आग अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। जंगल में लगने वाली आग से छोटी झाड़ियों और घास जल जाती है है, बारिश के मौसम से भूस्खलन और मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ जाता है। जंगलों में लगने वाली आग से अत्यधिक मात्रा में धुंआ और जहरीली गैस निकलती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और मनुष्य में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएँ पैदा करती है।

समाधान :

वनाग्नि के कारणों एवं परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करने के साथ-साथ जंगलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने से मानव-जनित आग की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। अग्नि सुरक्षा, सिगरेट के उचित निपटान और कैम्पफायर को बिना निगरानी के छोड़ने के खतरों पर अभियान जागरूकता बढ़ा सकते हैं और साथ ही जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वनाग्नि की रोकथाम से संबंधित कानूनों एवं विनियमों को लागू करने से, जैसे कि मलबे को जलाने पर प्रतिबंध तथा शुष्क अवधि के दौरान कैम्प फायर पर प्रतिबंध, आकस्मिक आग के जोखिम को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। गैर-उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार की रोकथाम करने हेतु



अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने की दशा में दंड के प्रावधान का सख्ती से कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त वनस्पति का नाश करने के लिये नियंत्रित तरीके से दहन करने और अग्निरोधक/फायरब्रेक बनाने से अन्य उपयोगी वनस्पति के दहन की रोकथाम हेतु अवरोध उत्पन्न होता है और ईंधन भार कम होता है जिससे अग्नि के संचरण को कम करने में मदद मिल सकती है। उचित ईंधन प्रबंधन प्रथाएँ, जैसे घनी वनस्पतियों का विरलन करना और निर्जीव काष्ठ को साफ करना, वनों की अग्नि के प्रति संवेदनशीलता को कम सकता है। अनुवीक्षण कैमरे, उपग्रह निगरानी और लुकआउट टावरों जैसे त्वरित जाँच प्रणालियों के कार्यान्वयन से अग्नि का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में मदद मिल सकती है जिससे उसका शमन करना आसान हो जाता है। अग्नि का त्वरित रूप से पता लगाने से इसकी व्यापकता और प्रभाव को कम करते हुए त्वरित कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।

वनाग्नि को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना- वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना का आरंभ वर्ष 2018 में किया गया था। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों को सूचित करना कि, उन्हें सक्षम और सशक्त बनाकर वनाग्नि को कम करना

है। इस योजना के तहत जंगलों के पास रहने वाले लोगों को आग की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों के वन विभागों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य देश में विविध वन पारिस्थितिक तंत्रों में आग के खतरों को काफी हद तक कम करना है। इसका योजना का उद्देश्य आग से लड़ने और

आग की घटनाओं के बाद तेजी से रिकवरी में वन कर्मियों और संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाना भी है। वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, जो जंगल में लगने वाली आग से निपटने में राज्यों की मदद करता है।

उपसंहार :

मानवीय गतिविधियों, मौसम की स्थिति और शुष्कता जैसे प्राकृतिक कारकों तथा ड्राई बायोमास की प्रारंभिक उपलब्धता के संयोजन ने इस वर्ष 2024 भारत में वनाग्नि के जोखिम एवं घटनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है। शमन रणनीतियों को कार्यान्वित करने और अग्नि सुरक्षा तथा अनुकूलन की संस्कृति को बढ़ावा देकर संबद्ध समुदाय वनाग्नि के जोखिम एवं प्रभाव को कम करने के लिये मिलकर कार्य कर सकते हैं। वनाग्नि को जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम मानते हुए इससे निपटने के लिये हमें वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण की आवश्यकता है, जो वनाग्नि और उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करती हो। वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में कई देशों द्वारा कुछ विशेष माडल प्रयोग किये जा रहे हैं, आवश्यक है कि हम भी इन्हें अपने अनुसार परिवर्तित कर प्रयोग में लाएँ। □

पता : 5/104, विपुल खंड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
उत्तर प्रदेश

सत्ता विकेंद्रीकरण मूल्यों की आधारशिला - ‘स्थानीय स्वशासन’

नीले आकाश के तले सुनहरी गेहूँ की बालियों, मंद, शीतल वायु से हरे-भरे पेड़ों की इटलाती टहनियों और नदी के कल-कल करते जल से सजी धरती; गांव का यह मनोरम दृश्य जहाँ पौ फटते ही किसान अपने खेतों में अन्न बोने पहुंच जाते हैं, मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। प्राकृतिक, सुंदर किन्तु साधारण जीवन जीने वाली इस जनता को जब अपने लिए शासन का अधिकार मिलता है तो वह भी स्वयं को उसका हिस्सा मानकर आनन्दित होता है और नागरिकों का स्वयं के ऊपर शासन करना, यही तो स्थानीय स्वशासन है। “स्थानीय स्वशासन” मूलतः लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित वह शासन व्यवस्था है जो सामान्य जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए शासन को उसके दरवाजे तक लाती है।

यदि हम स्थानीय स्वशासन की गहराई में जायें तो पता चलता है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वशासन तो एक पुरातन भारतीय व्यवस्था है। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में “पंचायतन” शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित पांच व्यक्तियों का समूह है। किन्तु, धीरे-धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सम्मिलित करने की अवधारणा लुप्त होती गयी। यहां तक कि चारों वेदों में से प्रथम वेद ऋग्वेद में भी स्थानीय स्व- इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदथ का उल्लेख मिलता है जो कि स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। इसके अतिरिक्त महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल में भी स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं किन्तु यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायत के सदस्यों अथवा



- श्रीमती राजश्री दुबे,
समीक्षा अधिकारी (लेखा)

उत्तर प्रदेश शासन / संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ।

प्रमुख के रूप में कभी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। मध्य काल की बात की जाय तो इस काल में मुस्लिम शासकों का प्रभाव अधिक रहा। नगरीय शासन मुहत्सिब द्वारा चलाया जाता था जिसके द्वारा जलापूर्ति, कुओं की देखभाल, खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकना, सार्वजनिक भवनों की देखभाल करना और बाजारों का पर्यवेक्षण आदि कार्य किए जाते थे। किन्तु इस काल में स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विकास नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम शासकों ने शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की थी और बिना केंद्रीय शासन व्यवस्था के देश पर शासन करना कठिन कार्य था।

भारत में स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रिटिश काल में हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा भारत में वर्ष 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। इस कड़ी में वर्ष 1870 में मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय इकाइयों की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1882में लार्ड रिपन ने भी उन संस्थाओं को आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। यहां तक कि वर्ष

1919 में मांटैग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह अनुशंसा की गयी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

स्वातंत्र्योत्तर काल में पंचायतों के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान मिला और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुच्छेद-40 में सम्मिलित किया गया। चूंकि नीति निदेशक सिद्धान्त बाध्यकारी नहीं है। परिणामस्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक संरचना का अभाव रहा। भारत ने 2 अक्टूबर, 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिन्हें जनभागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाता था। लेकिन यह कार्यक्रम कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। इस कार्यक्रम की विफलता के कई कारण थे जैसे- अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही की बाधाएँ, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और इसे लागू करने में ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की रूचि का अभाव।

आगे चलकर चलकर वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था थी। लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गयी। कालान्तर में पुनरुद्धार और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न समितियों की नियुक्ति की यथा-अशोक मेहता समिति,

जी0के0वी0राव समिति, एल0 एम0 सिंघवी रिपोर्ट आदि। वर्ष 1987 के बाद स्थानीय स्वशासन के कामकाज की गहन समीक्षा प्रारम्भ हुई और वर्ष 1984 में पी. के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा की। और अंततः वर्ष 1992 में संसद 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को धार देते हुए मजबूती प्रदान की गयी। जहाँ 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबन्धित है जिसे पंचायती राज संस्थान के रूप में जाना जाता है वहीं 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबन्धित है जिसे नगरपालिका कहा जाता है।

स्थानीय स्वशासन एक लंबे सफर को तय करने के बाद शासन के एक ऐसे स्वरूप में उभरा है जो नागरिक विकास के लिए स्थानीय समस्याओं के समाधान में जनसहभागिता की आवश्यकता पर विशेष बल देता है। स्थानीय स्वशासन, भारतीय संघात्मकता एवं एकात्मकता रूपी प्रजातंत्र पर आधारित सत्ता विकेंद्रीकरण मूल्यों की आधारशिला है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने से यह नियंत्रण एवं उत्तरदायी पूर्ण शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर बन गया है जो नीति व्यवस्था का भी तीसरा स्तर है साथ ही नीति निर्माण से क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तक जन सह-भागिता पर आधारित है। जब कोई जन समूह किसी स्थान विशेष पर मिल-जुलकर सामुदायिक जीवन का आरम्भ करता है तो पारस्परिक सम्बन्धों के निरूपण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध नागरिक जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था से होता है जैसे-पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, सड़क, संचार, आदि। जहां एक ओर उपलब्ध सुविधाओं का परिवहन एवं नयी सुविधायें जुटाना तथा भविष्य की सम्भावनाओं पर विचार करते हुए मानव जीवन के सभी पक्षों को बेहतर बनाना स्थानीय स्वशासन का उत्तरदायित्व है। वहीं दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक कर समाज को शासन व्यवस्थाओं के

साथ सामंजस्य बिठाकर सतत विकास के पथ पर अग्रसर करना भी है। किंतु भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, हमेशा से आलोचनात्मक मूल्यांकन का विषय रहा है। इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता अक्सर अपेक्षाओं से कम रही है। यह प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की कमी जैसी चुनौतियों से जूझती रही है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की बाधाएँ भी इसकी कार्यक्षमता को और बाधित करती हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अवसरों की पूरी श्रृंखला प्रदान की है किन्तु किन्हीं कारणवश उन्हें उचित रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका है। हालांकि इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। स्थानीय स्वशासन की इस प्रणाली ने ग्रामीण समुदाय के कई वर्गों में जागरूकता पैदा की है और कुछ प्रकरणों में शोषण और अति के विरुद्ध मजबूत आवाज भी दर्ज की गयी है। इसका सबसे सुखद पहलू दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे वंचित समूहों का समावेश और भागीदारी है, जो लोकतंत्र को और भी मजबूती प्रदान करता है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो, जहाँ एक तरफ प्राचीन भारत में पंचायत के सदस्य अथवा प्रमुख के रूप में स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में चुनाव के दौरान न केवल एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मार्ग सुनिश्चित किया बल्कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी कार्य किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिला प्रतिनिधि सम्मिलित होती हैं, तो वे स्थानीय प्राथमिकताओं पर कहीं अधिक जोर देती हैं। स्थानीय स्वशासन में महिला

प्रतिनिधियों के प्रभाव से जुड़ी रिसर्च के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों के स्थानीय लोगों के बीच आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं को बेहतर तरीके पहुंचाने का कार्य किया है साथ ही समावेशी और विकेंद्रीकृत लोकतंत्रिक शासन प्रणाली के उद्देश्य को सही मायने में पूरा करते हुए जमीनी स्तर पर टिकाऊ और स्थायी विकास को सशक्त किया है। किन्तु इसी के साथ यह भी कहना समीचीन होगा कि भले ही महिलाओं की स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, लेकिन उनके लिए पंचायतों में कार्य करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है।

लेकिन इन सब के बावजूद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली को अत्यधिक कार्यात्मक और प्रभावी बनाने के लिए इसकी प्रगति में बाधक सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूती प्रदान किये जाने का ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और पारदर्शी, जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने के उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

अंत में यही कहना चाहूँगी कि वैदिक काल से चली आ रही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो एक समय पर देश में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी उसे विभिन्न समितियों और प्रयासों द्वारा नवजीवन प्रदान किया गया। किंतु 73वाँ संविधान संशोधन इसमें मील का पत्थर साबित हुआ जिसके द्वारा आम जनता को सुशासन में भागीदारी का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और आज भी यह ग्रामस्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वास्तव में सही मायने में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई "स्थानीय स्वशासन" ही है। □□

जिंदगी के टेढ़े-मेढ़े पथ...



● लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

वक्त के थपेड़ों से घबराता हूँ
कभी ठोकर इतनी जोर से लगती है
गिर भी पड़ता हूँ पर डरता नहीं हूँ
मुश्किलों का सामना करता हूँ
संभल कर आगे बढ़ता हूँ...

मानता हूँ कि जब वक्त अच्छा न चल रहा हो
तो खराब दौर में पराए तो पराए हैं
अपने भी साथ चलने को तैयार नहीं होते हैं
क्रोध तो आता है, खुद में जब्त कर जाता हूँ
अपने बुरे वक्त का विश्लेषण करता हूँ
कदापि हिम्मत न खोता हूँ
दुगने उत्साह से चल पड़ता हूँ...

जिंदगी तुमसे अच्छे कर्म करने का
मैं वादा करता हूँ
कांटो का ताज मुझे मिला है
पर सोचता हूँ कि कांटो के साथ
गुलाब भी खिला होता है
दुःखों के पहाड़, मेरे लक्ष्य में विघ्न करेंगे
मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास है
जिंदगी को खूबसूरत बनाने का
मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास से
निश्चित ही मैं बेहतर करूँगा
निश्चय ही श्रेष्ठ करूँगा
और सफलता का वरण करूँगा
इसी उम्मीद में अकेले ही

मैं निकल पड़ता हूँ...

माना कि सत्य मौन है
लेकिन सत्य अटल है
अंततः सत्य सफल होता है
सत्य का अनुगमन कर
जिंदगी को अब तक जिया है
भले ही सफलता का अमृत रस
अभी तक नहीं पिया है
वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया है
अनीति के सरल सुगम पथ पर
विजय श्री का न करूँगा आह्वान
मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान
सत्य के टेढ़े-मेढ़े पर्वत पर
मैं आनंदमग्न होकर चढ़ता हूँ...



मोहल्ला- बरगदवा (नई बस्ती),
निकट गीता पब्लिक स्कूल
पोस्ट-मड़वा नगर (पुरानी बस्ती),
जिला-बस्ती 272002 (उ.प्र.)
मोबाइल : 7355309428

सिर्फ काम ही आपकी जिन्दगी नहीं है

एक रविवार की दोपहर मृदुला के यहाँ जाना हुआ। काफी अर्से बाद उसके यहाँ गई थी। सोचा था, मृदुला बड़ी खुश होगी और लम्बी बातचीत का सिलसिला चल निकलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। मृदुला हंसती हुई आई और मुझे बिठाकर चली गई। करीब 15-20 मिनट बाद आई तो मैंने देखा, वह पहले से काफी थक गई थी। आते ही काम का रोना ले बैठी, 'बुरा मत मानना। काम इतना रहता है कि एक मिनट का नाम लेकर पन्द्रह मिनट में आई हूँ। सच सुबह से शाम तक काम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।'

'लेकिन दोपहर में भी ऐसा क्या काम रहता है, जिसमें तुम्हें व्यस्त रहना पड़ता है? दोपहर में सिलाई, कढ़ाई व बुनाई की व्यस्तता भले हो सकती है, लेकिन दूसरे काम तो गृहस्थी में आमतौर पर दोपहर से पहले निबट जाते हैं।' मैंने कहा।

'अरे छोड़ो इस बात को। गृहस्थी का एक लफड़ा हो तो निबटे। एक आता है, दूसरा जाता है। चाय, पानी, नाश्ता, खाना-पीना, चौका-बर्तन। तौबा तौबा एक मिनट की भी तो फुरसत नहीं।' मृदुला बोली।

लेकिन मृदुला यह तो ऐसे काम हैं, जो सभी घरों में हैं। तुम्हें अकेले ही थोड़े करने पड़ रहे हैं। फिर एक बात बताओ, तुम बच्चों व पति को इस व्यस्तता में भला कहाँ समय दे पाती होगी?'

'सच है। कई बार तो दिन में घर-गृहस्थी की बातों के अलावा हम लोग कोई बात ही नहीं कर पाते। वे भी हमेशा यही कहते रहते हैं, मृदुला, तुम्हें कभी फुरसत भी मिलेगी? सारे दिन पता नहीं क्या काम करती रहती हो? एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अब इन्हें कौन समझाए कि गृहस्थी में एक काम तो है नहीं जो निबटा लिया। पाँच लोगों का काम है।'

मैंने कहा, 'लेकिन तुम्हें काम के अलावा बच्चों तथा पति की भावनाओं और अपेक्षाओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा मनोरंजन की बातों पर भी गौर करना चाहिए। इसके अभाव में तो तुम



- चन्द्रकान्ता शर्मा

युवावस्था में ही बुढ़ा जाओंगी। जिन्दगी का अर्थ केवल यही तो नहीं है।'

पता नहीं, मृदुला ने मेरी बात पर ध्यान दिया या नहीं, पर मैं उसकी उस व्यस्त दिनचर्या से हैरान व हतप्रभ थी। काम करना कोई बुरा नहीं है। घर के काम हम नहीं तो कौन करेगा? काम नहीं निबटे तो वह भी हमारे लिए ही परेशानी है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम काम के आगे अपना स्वयं का अस्तित्व ही भूल जाएँ।

कार्य का बंटवारा इस प्रकार हो कि बचे हुए वक्त में हम बच्चों तथा पति को भी समय दें तथा अन्य कार्यों पर भी नजर डाल सकें। काम का नारा, हो सकता है आपके पति के मन में एक सीमा पर आकर आपके प्रति वितृष्णा उत्पन्न करें और पति महाशय अधिक से अधिक समय के लिए घर से बाहर रहने लगें।

फिर आप अपने तकदीर का रोना रोएं अथवा रोज-रोज कलह करें, यह बड़ा दुखदायी होता है। कई बार पति आपसे बातचीत कर अपने तनाव से हल्का होना चाहते हैं और आप हैं कि उनकी सुनी-अनसुनी करके काम की धुन में मस्त हैं। आपका चातुर्थ इसी में है कि आप घर के कार्य निबटाने के बाद पर्याप्त समय दफ्तर से लौटे पति को भी दें तो थोड़ी देर आपसे वार्तालाप के बाद खुश होंगे।

बच्चों के साथ हंसना-बोलना उनके व्यक्तित्व के परिपक्व विकास के लिए जरूरी है। कभी-कभी उनके साथ-साथ खाइए, खेलिए और बातचीत

कीजिए। इससे आपके और बच्चों के संबंधों में दृढ़ता आएगी। इसके अभाव में या तो बच्चे गली में शैतानी करेंगे, फिजुल का झगड़ा मोल लेंगे अथवा पढ़ने में कमजोर रहे जाएंगे। आप काम करती रहेंगी, बच्चे गन्दी आदतें सीखते रहेंगे। आप उनसे पढ़ाई की भी बातें कीजिए, होमवर्क करवाइए तथा खान-पान, रहन-सहन व पहनावे के प्रति निर्देश दीजिए।

शिष्टता का व्यवहार करना बच्चे तभी सीखते हैं। यही नहीं, यदि पति व्यस्त रहते हैं, तो आप बच्चों के साथ यदाकदा बाजार, पार्क में भी उनका मन बहलाने के लिए जा सकती हैं। घुमना-फिरना स्वास्थ्यप्रद तो है ही, मनोरंजन का द्योतक भी है।

परिवार के सदस्यों के अलावा सामाजिक दायरे में लोकप्रियता हासिल करने की दृष्टि से भी सामान्य रहना जरूरी है। अनावश्यक रूप से व्यस्तता का नकाव ओढ़ना आपके व्यक्तित्व के लिए नुकसानदायक है।

आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप

काम ही करती रहें तो वे ऊब जाएंगे। जब आपके यहाँ कोई समय निकालकर आया है, तो आप उसे अपना समय क्यों नहीं दे सकती? समय निकालकर परिवार व परिचित तथा संबंधियों को बातचीत व सुख-दुख में भागीदार बनाना जरूरी है। अन्यथा बीमार रहेगी, थक जाएंगी। आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी और किसी से स्नेह नहीं पा सकेंगी।

घर-परिवार में सुख, अमन-चैन तथा खुशहाली के वातावरण के लिए आपका प्रसन्नचित होना जरूरी है और प्रसन्नचित आप तब हो पाएंगी जब सारे दिन काम का रोना न रोएं तथा समय बचाकर अपने दायित्व निभाती रहें। अच्छा खान-पान, रहन-सहन तथा पहनवा भी तभी संभव हैं, जब आप समय निकालकर अपने वर्तमान पर ध्यान दें। आपके खुश रहने से आपका परिवार भी खुश रहेगा। □

पता : 124/61-62, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर-302 020,
(राजस्थान)
फोन:-0141-2782110

बड़ा मजा बाटे किसानी में

दिन भर लग जाबा खेतवा के जोतानी में
बड़ा मजा बाटे किसानी में।

आ गईल बा असाढ महीनवा
धनवा का बेहन तैयार बाटे।
चला के देखा खेतवा में पानी
रोपाई के आईल बहार बाटे।

गांव गांव देखा होता रोपाई
मगन देखा किसन बाटे।
धूपवा में देहिंआ जला के
खेतवा बोआवत किसान बाटे।

देशवा के लोगवा के पेट भरे ला किसनवां
अन्नदाता बस किसान बाटे।
सूखा पड़े चाहे पाथर पड़े
सगरो मुसीबत सहत किसान बाटे।



— बट्टी प्रसाद वर्मा अनजान

धरती से अन्न उपजावेला किसनवां
धरती के पुत्र किसान बाटे।
अन्न सब्जी सगरो फलवा पैदा करेला किसनवां
देशवा में सबसे गरीब किसान बाटे।

□□

पता : गल्ला मंडी गोला बाजार 273408
गोरखपुर. उ. प्र. मोबाइल 9838911836

जन-जन के जीवन से जुड़े हैं हमारे वन

तन-मन-धन, सबके ऊपर वन। जन-जन की आशा- हमारे वन। जन-जन का जीवन वन। वन से बादल, बादल से पानी, पानी से जीवन। वृक्षों की महत्ता सदियों से है। भविष्य पुराण, भर्तृहरि ऋषि, संत तुलसीदास और महाकवि कालिदास सभी ने वृक्ष की गाथा का वर्णन किया है। महाभारत में वृक्षों की महिमा बखानी है। भगवान श्रीकृष्ण ने वृक्षों की गाथा गायी है। हमारे जीवन का युगों-युगों से वनों से अटूट सम्बन्ध रहा है। भारतीय संस्कृति में वन गमन का एक आदर्श स्थान रहा है। महर्षि बाल्मीकि और भगवान श्री राम ने हमारे वनों की शोभा बढ़ायी है। भगवान बुद्ध को भी वृक्ष के नीचे बोध हुआ था।

एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर कहा गया है। वृक्षों में पादप जीवन होता है। वृक्ष सदियों से पूजनीय है। विभिन्न प्रकार की औषधियां वृक्षों की देन हैं। वृक्षों से स्वादिष्ट, पौष्टिक फल हमें मिलते हैं। संत तुलसीदास ने फलदार वृक्षों की तुलना संतों से की है-

तुलसी संत सुअम्ब तरु,
फूले फलहिं पर हेत।
इतते पे पाहन हनत,
उतते वे फल देत।।

तालिका 1: पावन वृक्ष और उनसे जुड़े देवता

oʃk	l aʃk nsrk
cj xn	ब्रम्हा, विष्णु, महेश, हरि, कृष्ण, पंचानन, कुबेर, लक्ष्मी।
i hi y	विष्णु, बुद्ध, कृष्ण, ब्रम्हा, लक्ष्मी, सूर्य, दुर्गा, अप्सरा, गंधर्व।
r g l h	कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण, हरि, जगन्नाथ, वृंदावती, चांद, लक्ष्मी।
v' k d	बुद्ध, इन्द्र, विष्णु, गंधर्व, अप्सरा।
cy	शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य।
v le	लक्ष्मी, गोवर्धन, बुद्ध, गंधर्व।
ckh	कृष्ण, पूर्वज पूजा, वंश वृद्धि।
ule	शीतला, मनसा, वंश वृद्धि।
d y k	लक्ष्मी, पूर्वज पूजा, वंश वृद्धि।
v loy k	लक्ष्मी, कार्तिकेय, विष्णु, गंधर्व।

स्रोत: कृषि व्यवस्था, जयपुर।



प्रो. (डॉ.) भागचन्द्र जैन,

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि पत्रकार संघ (नाज)

ऋषि-मुनियों ने वृक्षों की स्तुति देवी-देवताओं की तरह की है। पेड़-पौधों की रक्षा धार्मिक कार्य माना जाता है। ऋषि भर्तृहरि ने वृक्षों की कटाई के दुष्कर्म को नरक के समान बताया है-

वृक्षांश्छत्तवा पशुन्हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम्।
यद्मेव गम्यते स्वर्गे नरक केत गम्यते।।

भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो बरगद, पीपल, नीम, इमली, बेल, आंवला तथा आम के वृक्ष लगाते हैं, वे कभी नरक नहीं जाते हैं। महाकवि कालिदास के आश्रम से जब शकुंतला ने विदाई ली थी, तब वे वृक्ष से लिपटकर रोयी थी। महाभारत में वृक्षों की संज्ञा धर्मपुत्रों से की गई है, वृक्ष लगाकर उनकी पुत्र की तरह रक्षा करनी चाहिये।

आज एक ओर औद्योगीकरण का प्रकाश तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण से खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण "राष्ट्रीय वन महोत्सव" की भूमिका हर वर्ष बढ़ती जा रही है। सम्पूर्ण विश्व में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। वृक्ष पर्यावरण की रक्षा के सजग प्रहरी हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिये वन ही एकमात्र उपयुक्त साधन सिद्ध हुये है।

वनों का क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। विश्व की 11 प्रतिशत भूमि हमारे देश में है और संसार की 15 प्रतिशत से अधिक जनता हमारे देश में रहती है, परन्तु यह विसंगति है कि भारत में विश्व के वन भूभाग का केवल दो प्रतिशत हिस्सा स्थित है। यह चिंतनीय विषय है कि वन कम क्यों होते जा रहे हैं? वनों की रक्षा कैसे की जाये? आजादी के समय 1947 में हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र था, यह वन क्षेत्र आज लगभग 18 प्रतिशत रह गया है।

वन का क्षेत्रफल कम होने से पर्यावरण इतना प्रभावित हुआ है कि असामयिक और खण्ड वृष्टि होने लगी है। ऋतुओं ने अपने प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन सा कर दिया है। वृक्षों से मिलने वाली आक्सीजन प्राण वायु होती है- यह प्राण वायु हमें दूषित वातावरण में आसानी से नहीं मिल पाती है। पर्यावरण में संतुलन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण निरंतर किया जाये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'जिस जगह वृक्ष अधिक होते हैं, वहां बादलों से पानी अपने आप बरस जाता है, पेड़ों की पत्तियों में ऐसा आकर्षण होता है कि पानी दूध की धार की तरह नीचे गिरने लगता है, जिस भूमि में वृक्ष नहीं होते हैं वह भूमि मरुभूमि हो जाती है, क्योंकि पानी तो वहां बरसता नहीं। अगर वर्षा बंद करनी हो तो वृक्षों को काट दीजिये।

वृक्ष जीवन को प्राण वायु देते हैं। वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जड़ी-बूटियां, तेल, गोंद, फल,

राल देते हैं, इमारती और जलाऊ लकड़ी देते हैं। कृषि के लिये जो अनुपयुक्त भूमि है- उसे वृक्ष नया जीवन देकर कृषि योग्य बनाते हैं। वृक्ष प्राकृतिक छटा बिखेरते हैं और पशु पक्षियों को बसेरा देते हैं। वृक्ष जनता को रोजगार देते हैं और आर्थिक आमदनी भी देते हैं।

हमारे देश में वन का कुल क्षेत्रफल 6.3 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत है। हमारे देश में कुल 726 जिले हैं, इन जिलों में से 106 जिलों में 33 प्रतिशत, 52 जिलों में 19 से 33 प्रतिशत तथा 216 जिलों में 1 से 19 प्रतिशत वन का क्षेत्रफल है। शेष जिलों में वन का क्षेत्रफल नहीं के बराबर है।

योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग पांच करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि हैं, जिसका 15 प्रतिशत क्षेत्र वृक्ष लगाकर सुधारा जा सकता है, जिसके लिये राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड प्रयास कर रहा है।

अनुमान लगाया गया है कि पचास वर्ष पुराना वृक्ष 15.7 लाख रुपये के बराबर लाभ देता है। पीपल का एक परिपक्व वृक्ष 1712 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से आक्सीजन देता है और 2252 किलोग्राम की दर से कार्बन डाई आक्साइड सोखता है। दो से तीन मीटर घनत्व वाले जामुन, पीपल, बरगद, नीम, आम के वृक्षों से 100 मीटर दूरी तक औसतन 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। एक हेक्टेयर में लगे वृक्ष 30 से 50 टन उड़ती धूल प्रतिदिन सोख लेते हैं।

हमारे देश में 6,29,149 गांव है, जहां पर लगभग 70 प्रतिशत जनता रहती है। ग्रामीण निवासियों को जलाऊ लकड़ी के लिये जंगल पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश में संसार के 9 प्रतिशत पशु पाये जाते हैं, जिनके आहार के लिये जंगल का चारा ही मुख्य स्रोत है। वृक्ष प्रकृति की अद्भुत देन है। यदि किसी स्थान की सुंदरता बढ़ाना है तो वहां आप वृक्ष लगा दीजिये, सचमुच सुंदरता आ जायेगी। वृक्षों से आपकी राशि, नक्षत्र जुड़े हुये हैं:

तालिका 2: राशि, नक्षत्र और वृक्ष

क्र.	वृक्ष	राशि	नक्षत्र	देवता
1.	कुचिला	मेष	अश्विनी	अश्विनी
2.	आंवला	मेष	भरणी	ताम
3.	गूलर	मेष / वृष	कृतिका	अग्नि
4.	जामुन	वृष	रोहिणी	ब्रम्हा
5.	खैर	वृष / मिथुन	मृगशिरा	सोम
6.	शीशम	मिथुन	आर्द्रा	रुद्र
7.	बांस	मिथुन / कर्क	पुनर्वस	अदिति
8.	पीपल	कर्क	पुष्य	वृहस्पति
9.	नागकेसर	कर्क	अश्लेषा	सर्प
10.	बरगद	सिंह	मघा	पितर
11.	ढाक	सिंह	पू. फाल्गुनी	भग
12.	पाकड़	सिंह / कन्या	उ. फाल्गुनी	अर्यमा
13.	रीठा	कन्या	हस्त	सविता
14.	बेल	कन्या / तुला	चित्रा	त्वष्टा
15.	अर्जुन	तुला	स्वाती	वायु
16.	कताई	तुला / वृश्चिक	विशाखा	इंद्राग्नि
17.	मौल श्री	वृश्चिक	अनुराधा	मित्र
18.	चीड़	वृश्चिक	ज्येष्ठा	इन्द्र
19.	साल	धनु	मूला	निऋति
20.	जलवेतस	धनु	पूर्वाषाढा	जल
21.	कटहल	धनु	उत्तराषाढा	विश्वदेव
22.	आक	मकर	श्रवण	विष्णु
23.	खेजड़ी	मकर / कुंभ	धनिष्ठा	वसु
24.	कदम	कुंभ	शतभिखा	वरुण
25.	आम	कुंभ / मीन	पू. भाद्रपद	अजैकपद
26.	नीम	मीन	उ. भाद्रपद	अर्हिवुध्न्य
27.	महुआ	मीन	रेवती	पूषा

लकड़ी देने वाले वृक्षों की अहम भूमिका होती है, इसके लिये बबूल, शीशम, नीम, इमली तथा यूकेलिप्टस को लगाना चाहिये। घर की बागवानी के लिये नीबू, पपीता, आंवला, कटहल, आम, केला, संतरा आदि लगाना



चाहिये। छत्तीसगढ़ वन सम्पदा का धनी है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर शब्द की उत्पत्ति 'बांस' से हुई है, यहां के सागौन के वन प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाला सरगुजा में भी पहाड़ों की वादियों के बीच में प्रचुर मात्रा में वन है।

संतोष सबसे बड़ा सुख है।, 'संतोष परम सुख', मनुष्यों को फल-फूलों से लदे हुये पेड़ संतोष प्रदान करते हैं।



इसलिये राष्ट्रीय वन महोत्सव, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वसुंधरा दिवस मनाने के साथ ही साथ वृक्षारोपण कीजिये। भारत में एक से आठ जुलाई तक हर्ष-उल्लास के साथ राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया जाता है,

जिसमें करोड़ों वृक्ष प्रति वर्ष लगाये जाते हैं, इसलिये राष्ट्रीय वन महोत्सव को 'अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन' की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय वन महोत्सव का शुभारंभ वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किया था। तब से यह महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है, हर साल करोड़ों वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है।

वृक्ष भविष्य है। वृक्ष आशा है। इसलिये प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वृक्षारोपण के पुनीत कार्य को लगन से करें तथा पुराने वृक्षों की देखभाल अवश्य करें। वृक्ष लगाना कठिन कार्य नहीं है, कठिन है उनकी देखभाल करना। पर्यावरण की रक्षा के लिये कृषि की अनुपयुक्त भूमि पर, सड़कों और नहरों के किनारे, पंचायत जमीनों, खेत की मेड़ों, गृह वाटिकाओं, मंदिरों में वृक्षारोपण कीजिये। कुओं और तालाबों के पास भी वृक्ष लगायें।

पता : 20 महावीर नगर,

पोस्ट- रविग्राम, रायपुर- 492006 (छत्तीसगढ़)

जहर मुक्त खेती एवं पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण के प्रति भारतीय संस्कृति में जागरण संरक्षण और आदर का भाव प्राचीन काल से ही रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के अनेकानेक नेताओं के साथ महात्मा गान्धी की विचारधारा भी पर्यावरणीय चेतना के उन्नयन के लिए जागरूक और प्रयत्नशील रही है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न वादों के माध्यम से स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु को मानव



अखिलेश सिंह चन्देल

डायरेक्टर

तालुकदार कृषक फारमर्स प्रोड्यूसर्स कम्पनी लि.



जीवन के लिए आवश्यक बताया है। वनस्पति जगत तो पर्यावरण द्वारा मानव जाति को दिया गया वरदान है क्योंकि पेड़-पौधे अति हानिकारक कार्बनडाईआक्साइड को जीवनोपयोगी आक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। इस तरह वे पर्यावरण की शुद्धता का भार भी उठाये हुए हैं।

वर्तमान समय में अतीत का चिन्तन करने पर तुलनात्मक दृष्टि से मानव मस्तिष्क में बहुत गम्भीर प्रश्न उठता है कि क्या आज का मानव अपने पूर्वजों के काल से पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग है?

आज का पर्यावरण सम्पूर्ण समाज के लिए एक गम्भीर समस्या का रूप ले चुका है, जिसका दोषी आज का मानव एवं उसकी कृतियाँ ही हैं। वर्तमान मानव समाज के पर्यावरण चेतना के प्रति उपेक्षापूर्व व्यवहार के कारण ही ऐसा विकट संकट उत्पन्न होता दिखायी दे रहा है। वास्तव में स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर एवं समुचित मानसिक विकास सम्भव है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यदि पर्यावरण नहीं तो मनुष्य नहीं।

पर्यावरण (परि+आवरण) अर्थात् हमारे आसपास जल, जंगल-जमीन, प्रकृति का एक चादर, छतरी, आवरण पंच महाभूत (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) इसी से प्रकृति एवं मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इन पाँचों तत्वों में सन्तुलन, सात्विक शुद्धता, स्वच्छता, मानव जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अनिवार्य है। हम यहाँ जहर मुक्त खेती एवं पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो मानव,

पशु-पक्षी, जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों के जीवन रक्षा के लिए नितान्त आवश्यकता है। ब्रह्माण्ड में जितने ग्रह-उपग्रह हैं, उन सभी में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, जिस पर जीवन पाया जाता है। आज से लगभग तीस लाख वर्ष पूर्व मानव पृथ्वी पर आया। आज का मानव भौतिकवाद, औद्योगीकरण एवं बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। पर्यावरण को जहरीला बनाने में, मनुष्य स्वयं दानव की भूमिका अदा कर रहा है। अपने स्वार्थ-सुविधा के भोग-ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण, बाढ़ प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं रेडियों धर्मी प्रदूषण में वृद्धि कर प्रकृति में तबाही मचा रखी है। वायुमण्डल में 0.03 प्रतिशत कार्बन डाईआक्साइड है। यह मात्रा धरती की सतह से उत्सर्जित उष्मा को अवशोषित कर गैसीय तापमान जीवन-जगत व पादक जगत के आदर्श तापमान में 15 अंश सेंटीग्रेट सन्तुलित करती है। फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से धरा असमान्य रूप से गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस एक प्रकार का कृत्रिम शीशे या प्लास्टिक का बना घर होता है, इसका उपयोग कृषि में फल-सब्जी के उत्पादन में किया जाता है। ग्रीन हाउस सूर्य की किरणों को बाहर जाने से रोकती है फलस्वरूप जीवाश्म, ईंधन के रूप में पेट्रोलियम, कोयला आदि के जलने से अनेक विषैली गैस कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, मोनो आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड इत्यादि जहरीली गैसों निरंतर मुक्त हो रही हैं जिसमें CO₂ पृथ्वी के वायुमण्डल में से सूर्य विकिरणों को पुनः विकरण को रोकती है जिससे वायुमण्डली गर्मी बढ़ रही है। धरती पर सामान्य से बढ़ा जरा सा भी तापमान जीव-जगत के लिए कई मुसीबतें ला सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछली एक सदी से धरती के औसत तापमान में डिग्री फॉरेनहाइट की वृद्धि हुई है। इस आधार पर आने वाले दो सौ सालों में हमारी धरती के औसत तापमान में छः डिग्री फॉरेनहाइट तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। धरती पर बढ़े इस तापमान से समुद्र का जल-स्तर बहुत बढ़ जाएगा

जिससे पौधों और प्राणियों के जीवन बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस धरा पर गर्मी बढ़ने का कारण सौ वर्षों में वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक क्रान्ति एवं पेट्रोल-डीजल का जमकर प्रयोग है जिससे पौधों में CO₂ लेने की क्षमता घटी है, क्योंकि वनों का लगभग सफाया हो गया है। पिछले कुछ दशकों से बढ़ते गर्म वर्ष तथा भयानक समुद्री तूफान जैसे- सुनामी, कैटरिना आदि बताते हैं कि धरती के तापमान मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहे हैं।

मनुष्य को ही जहरीले पर्यावरणीय समस्या का मुख्य दोषी माना जाना चाहिए। पेड़ों, वनों, वनस्पतियों का व्यापक स्तर पर अंधाधुंध कटाई मानव कर रहा है जिससे परिस्थिति की सन्तुलन बिगड़ता चला जा रहा है और बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु जहरीले रासायनिक खाद, जहरीले कीट नाशक दवाओं का प्रयोग किसान भाइयों द्वारा खेती-किसानी में फलों पर लगे कीड़ों को मारने में अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका परोक्ष रूप से कुप्रभाव मानव-जीवन, पशु-पक्षी पादक जगत पर एवं पूरे पर्यावरण पर बहुत ही घातक पड़ रहा है। जहरीले रासायनिक दवाओं के प्रयोग से घातक जानलेवा बीमारियाँ बढ़ रही हैं जिसमें कैंसर, अस्थमा एवं त्वचा रोग की बाढ़ सी आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र से निकला क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) गैसों के जमाव ने हमारी पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत को चलनी करना पुनः शुरू कर दिया है। ओजोन परत में छिद्र एक विश्व व्यापी समस्या है। पृथ्वी की सतह से चालीस किमी. दूरी पर बीस किलोमीटर मोटी ओजोन (O₃) गैस नीले रंग की है जिसके कारण हमारा आसमान नीला दिखायी पड़ता है। यही नीले रंग की छतरी सम्पूर्ण जीव-जगत के लिए जीवनरक्षक कवच है, जो सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को अवशोषित कर, ताप के हल्का करके हमारी पृथ्वी पर भेजती है जिससे धरती पर जनजीवन सम्भव है। यह धरती जीवों है जिससे धरती पर जनजीवन सम्भव है। यह

धरती जीवों से है, जीवों की है, जीवों के लिए है, इस पर केवल मानव का ही नहीं वरन सभी जीवधारियों एवं पादप जगत का एक समान अधिकार है। यह सर्वभौतिक सत्य है। विविध प्रकार के वनस्पतियों एवं प्राणियों से ही इस धरा की अस्मिता है। हमारे चारों तरफ की भूमि, गगन, वायु, अनल, नीर के पहले अक्षर को मिलाने से (भ+ग+वा+न) बनते हैं। यह पर्यावरण हमें परमात्मा ने निःशुल्क वरदान स्वरूप प्रत्यक्ष भगवान के रूप में प्रदान किया है। अर्थात् पर्यावरण प्रकृति का ही पर्याय है। इस महत्ता को पूण्य भूमि भारत के सन्त महापुरुष बहुत पहले से ही जानते थे। इस कारण देवी भूमि भारत में इनकी पूजा होती है। इन्हें देवी-देवता व माता के समान हिन्दू-सनातन धर्म में बताया गया है। हमेशा प्रकृति के सन्तुलन, संरक्षण पूजन को ईश्वरीय कार्य बताया गया। भारतीय संस्कृति का यह विश्वास है कि सन्तुलित पर्यावरण जीवों को अभयदान देता है, उसके अस्तित्व के लिए सुरक्षा प्रदा करता है एवं मानव जीवन की सामान्य गतिविधियों के लिए उर्जा प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन, भोगवादी संस्कृति के प्रभाव से जहरीला, जीवों के लिए अहितकारी, रोगकारक, हानिकारक व विनाशक तथा विशेष परिस्थितियों में जीव-जगत पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। कुछ प्रजातियाँ-जातियाँ धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। मानव जीवन का अस्तित्व ही संकटमय हो गया है। इस संकट को बढ़ाने में जहरीले रसायनों के साथ अकेले प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है।

जब अस्सी के दशक में धीरे-धीरे पालिथीन की थैलियों ने कपड़ों के थैलों, जूट के वैग, कागज के लिफाफों की जगह लेनी शुरू कर दी हर आदमी मन्त्रमुग्ध हो गया। वनज में हल्की वनज सहने की वेजोड़ क्षमता वाली, टिकाऊ, सस्ती, लाजवाब चीज हम सबके हाथ लग गयी थी। किसे पता था कि यही गुण ही सबसे बड़ा अवगुण, साबित हुआ। दुनिया में हर मिनट दस लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं जिसमें पचास फीसदी कचरा हो

जाता है। यही पर्यावरण के लिए भयंकर घातक सिद्ध हो रहा है। प्लास्टिक की चीजों में रखें भोज्य पदार्थ खाने से कैंसर और भ्रूण विकास में बाधा सहित कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कचरे में रखे हुए प्लास्टिक खाने से जानवरों की मृत्यु हो रही है। प्लास्टिक नालियों में जमा होकर पानी के बहाव को रोकता है जिससे जल जमाव होता है। नदियाँ प्रदूषित होती हैं। प्लास्टिक को जलाने से वायु-प्रदूषण होता है। हम सबको प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना होगा, यही समय की माँग है।

सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट है। यदि समय रहते हम सब जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं कर सके तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति स्वयं सन्तुलन बनाने लगेगी। सरकार को सख्त जनसंख्या नियन्त्रण बनाना चाहिए। बच्ची हो या बच्चा, बच्चे दो ही सबसे अच्छा को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है, आजादी के समय देश की अस्सी फीसदी जनमानस की अर्थव्यवस्था परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। विश्व का एक चौथाई पशुधन पुण्य भूमि भारत में पाये जाते थे। खेती-किसानी पूरी तरह वैज्ञानिकता पर आधारित कुदरती प्राकृतिक संसाधनों से होती थी। पूर्णरूपेण टिकाऊ जैविक खेती की जाती थी। कृषि जैव पदार्थ आधारित था जिस कारण रोग व्याधि कम लगते थे। एक पौधे को अपने जीवन-पोषण के लिए सतह पोषण तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें तीन प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त हैं। (CHO) कार्बन, आक्सीन व हाइड्रोजन (NPK) नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है जैसे हम लोग रोटी, चावल दाल खाते हैं उसी प्रकार तीसरा गौड़ पोषक तत्व है। देशी गाय के गोबर व गोमूत्र से खाद एवं दवा का प्रयोग करते हैं तोहमारे खेत में किसान का मित्र केचुआ जरूर होंगे। जिस खेत में जितना केचुआ होता है वह खेत उतना ही मजबूत, उर्वर एवं उपजाऊ क्षमता वाला होता है। खेत में केचुवे की उपस्थिति यह तय कर देती है कि गौड़ पोषक तत्व व सूक्ष्मपोषक तत्व की

कमी नहीं है। केवल किसान भाइयों को मुख्य पोषक तत्व की ही आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह मानव शरीर बिना रक्त के नहीं चल सकता, खून की बीमारियों का कारण बनती है। ठीक उसी तरह खेती में जैव पदार्थ की कमी धरती मां के बीमार होने का कारण है। 0.5 से कम जैव पदार्थ होने पर मृदा अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। केमिकल पेस्टीसाइड व केमिकल फर्टिलाइजर के अन्धानुकरण प्रयोग से धरती मां अपनी उपजाऊपन, उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता खो रही है। किसान का धन माटी एवं धरती माँ दिनों-दिन बीमार हो रही है। किसान का सच्चा मित्र केचुआ खेत से पूर्ण रूपेण गायब हो गया है। मित्र जीवों, कीटों, जीवाणुओं एवं कवक को किसान अज्ञानतावश खुद ही रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके मार डाला क्योंकि किसान नादानी में जहरीले रासायनिक खाद व दवा का प्रयोग कर खुद ही बर्बाद नहीं हुए, वल्कि पूरे पर्यावरण को जहरीला बना दिया। हरित क्रांति के नाम पर जिस दिवास्वपन को हमने देखा उससे हमने पेट भरने के साधन तो प्राप्त किये, किन्तु भोजन स्वास्थ्य कारक न होकर कई रोगों का कारण बन गया। यह सौ फीसदी सत्य है कि 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले पुण्य भूमि भारत के लोगों को रोगों के चंगुल में पहुँचाने के दुर्भाग्यपूर्ण कारणों में रासायनिक (जहरीली) खेती व उसके माध्यम से उगायी जाने वाली सब्जियाँ व अन्न भी एक मुख्य कारण है। मँहगें रसायनों से जहाँकिसान दरिद्र नारायण बन रहा है। वही जलवायु, मिट्टी, पर्यावरण, अन्न व पशुओं का चारा भी प्रदूषित व जहरीला हो रहा है जिसके कारण कैंसर जैसे भयानक रोगों से पीड़ितों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबको पुरातन परम्परागत प्राकृतिक जैविक, देशी गाय माता के गोबर व गोमूत्र पर आधारित जैविक खेती व जहर मुक्त आहार को अपनाना होगा। इसी से स्वच्छ पर्यावरण व निरोगी काया प्राप्त होगी। भारतीय

नस्ल की देशी गाय सूर्य नाड़ी वाली होती है। गाय माता सूर्य से निकलने वाले गो-किरण को प्राप्त कर लेती हैं जिस कारण इस सवंश का नाम गोवंश पड़ा। दूध के माध्यम से यह मनुष्य को प्राप्त होता है। गाय का गीला गोबर खेत में डाले। एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर, 15 लीटर गोमूत्र, एक किलो गुण, एक किलो दलहन या चोकर आटा, एक मुट्ठी पीपल या वरगद के नीचे की मिट्टी सब एक ड्रम में डालकर दो सौ लीटर पानी भर दें और एक सप्ताह तक छाया में रखकर प्रतिदिन दो बार हिलाते रहें। यह प्रयोग 21 दिन पर दोहराते रहें। कोई भी अन्य खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विधि को अपनाने से मिट्टी पीली होगी एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। केचुवें की खाद फसल के लिए रामबाण है। यह केचुवा वर्ष भर चौबीसों घण्टे बिना बेतन के हमारे खेत को खेदता रहेगा तथा एक लाख परिवार बढ़ायेगा। जहाँ केचुवे अधिक होंगे वह भूमि सोना उगलेगी। यूरिया डालेंगे तो कीड़े लगेंगे।

जहर मुक्त खेत एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम पेड़ की कटाई कम से कम करें। तुलसी, पीपल, नीम एवं वरगद के पेड़ अधिक से अधिक लगायें। वृक्षारोपण सभी समस्याओं का समाधान है। पानी-भूमिगत जल का दोहन कम करें। जल संरक्षण हेतु वर्षा जल के संग्रहण के लिए खेतों में मेड़बन्दी करें। खेत का पानी खेत में, घर घर छत का पानी उसी घर, गाँव, मुहल्ले में रहे इस मूलमन्त्र को अपनाने की आवश्यकता है। दौड़ते हुए वर्षा जल को रेंगने व रेंगते हुए जल को रोकने की आवश्यकता है भू-जल अमूल्य है। इसका अपव्यय न करें। □□

पता : मकान नं० 24,
अयोध्याधाम कालोनी,
लक्ष्मणपुर, शिवपुर, वाराणसी
पिन-221003
मो० : 7068991602

जनसंख्या वृद्धि एक हाइड्रोजन बम

जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूँजी होती है, जो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है, वितरण करती है तथा उपभोग भी करती है और इस तरह देश के आर्थिक विकास का संवर्द्धन करती है, इसलिए तो जनसंख्या को देश के लिए साधन और साध्य भी माना गया है, लेकिन हर किसी चीज की सीमा होती है और उसका उल्लंघन सर्वथा घातक है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में यह कहना निहायत ही गलत नहीं होगा। जिस देश के साधन-संसाधन वहाँ की आबादी के सापेक्ष होते हैं उसे एक अनुकूल या आदर्श या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं, पर विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, तो इसे जनाधिक्य की संज्ञा दी जाती है। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं, पर अगर भारत की बात की जाय तो अर्थशास्त्री लहजों में इसे जनाधिक्य की श्रेणी से भी दो कदम आगे कहा जा सकता है।

ऑकड़े गवाह हैं कि भारत की आबादी वे लगाम, बेतहासा बढ़ती जा रही है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। 21 वीं



श्रीमती दीप माला सिंह
एम0ए0 (शिक्षा शास्त्र) बी0एड0

शर्दी की शुरुआत क्या हुई, भारत ने जनसंख्या के मामले में अरबपति होने का दर्जा हासिल कर लिया। 30प्र0 की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या के बराबर है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या फ्रांस के बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या ग्रेट-ब्रिटेन के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के अनेक देशों की जनसंख्या समाहित किए हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री विश्व के अनेक जितनी जनसंख्या को सम्मल रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की कुछ देशों से तुलना करने वाला मानचित्र बनाने से जाने अनजाने में हम भारतीयों को यह सन्देश दिया गया है कि आप विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें, परमाणु महाशक्ति बन जाओ, एक ही साथ 104 उपग्रह छोड़कर अपनी क्षमता का झण्डा गाड़ी सब कुछ कर लो पर जब तक असंयमित बढ़ती जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक सीमित संसाधनों के चलते एक साथ दुनियां के विभिन्न देशों की समस्याओं और चुनौतियों से लड़ते-जुझते रहना पड़ेगा।

भारत की जनसंख्या वृद्धि किस तरह आर्थिक और विकास के लाभों को किस तरह नकारा बना रही है इसे यह मानचित्र स्वयं साबित कर देता है। आजादी के समय 33 करोड़ आबादी वाला यह

भारत देश अभी 135 करोड़ का हो गया है। अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 1.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ती हुई 2050 में 199 करोड़ हो जायेगी। भारत की आबादी की बढ़ती रफ्तार को रोका नहीं गया तो आने वाले सौ सालों के भीतर मानव जाति को अपना वजूद बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की तरफ रूख करना होगा।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश की कुल आबादी 17.7 फीसदी बढ़ गई। बढ़ती हुई आबादी नई आर्थिक -सामाजिक चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। वैश्विक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अपने वाले कुछ समय में भारत चीन को जनसंख्या वृद्धि में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ दशकों में ही मानव जाति भयानक खतरे में आ जाएगी। विकसित देश इस बात से चिंतित हैं, पर विकासशील और पिछड़े देशों तक यह चिन्ता सही मायने में और सही रूप में अब तक नहीं पहुँची है। 2030 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। भारत की अजीब उपलब्धि यह है कि भारत हर वर्ष आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर बच्चे पैदा करता है। वर्तमान में हम विश्व की कुल जनसंख्या का 17.23 प्रतिशत हैं लेकिन भारत के पास भूमि मात्र 2.45 प्रतिशत ही हैं।

जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों में जन्म दर वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, गरीबी, बाल-विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास एवं शिक्षा का अभाव प्रमुख हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनजागरण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1800 में दुनिया की तीन फीसदी से भी कम आबादी शहरों में रहती थी। जबकि वर्ष 2004 के अंत तक यह आबादी 40 फीसदी से भी कम आबादी शहरों में रहती थी। अब एक करोड़ या उससे ज्यादा की आबादी वाले 26 महानगर हो गए हैं जिसमें टोकियो, संघाई, दिल्ली, मुंबई, मनीला, जकार्ता, कराची, ढाका, कोलकाता एवं बीजिंग प्रमुख रूप से शामिल हैं। महानगरों की आर्थिक कामयाबी के बावजूद बुनियादी सवालों का जबाव चिन्ताजनक

है। चिन्ता की कई वजहें हैं। शहरों में आबादी की तुलना में उर्जा की माँग ज्यादा है। खाद्य, पानी, औद्योगिक संसाधन और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उर्जा पर दबाव पड़ता है। समुद्र नदी के किनारे बसे महानगरों के सामने अपने इलाकों को सुरक्षित बचाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि समुद्र का जल-स्तर बढ़ रहा है। अनेकों बार बाढ़ ने मुंबई शहर को इसकी भयावहता की सकल दिखा दी हैं, लेकिन हमने कोई सबक सीखे हैं, ऐसा लगता नहीं।

झुग्गियों गंदी वस्तियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में होना हमारे लिए कलंक की बात है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण उपलब्ध सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। सड़क हो या स्कूल, कालेज, अस्पताल, बस अड्डें सबकम साबित हो रहे हैं। आवास की समस्या कुपोषण, रोजगार की समस्या, प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याओं आदि जनसंख्या की लगातार वृद्धि का ही दुष्परिणाम है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे संसाधनों पर कितना दबाव है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसमें कृषि योग्य भूमि बनाने के कारण विविध वृक्ष प्रजातियाँ भूमि से कम हो रही हैं। औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास की चाह में कृषि भूमि और वनों का विनाश होते देखना हमारी मजबूरी है।

सबसे अधिक चुनौतियाँ शहरों की आवासीय व्यवस्था में बढ़ रही है। करोड़ों लोग जर्जर मकानों में गुजर-बसर कर रहे हैं या झुग्गी-झोपड़ियों में सजीवन गुजार रहे हैं। जन स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति, प्रतिदिन निकलने वाले कचरों को ठिकाने लगाने की व्यवस्था और भी मुश्किल होती जा रही है। बीमारियाँ, ट्रैफिक जाम, घटिया जल, मल-निकास व्यवस्था, लूटमार, भीड़-भाड़, और संकरी गलियाँ अभी भी भारत की पहचान हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि जनसंख्या का बढ़ना केवल एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि सम्पूर्ण देश की खुशहाली को ग्रहण लगाता है। इसलिए अत्यन्त प्रभावी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचा जाना चाहिए।

भारत की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम कितनी भी प्रगति करे, कितना ही विकास

करें, कितनी ही सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं उससे चौगुनी हम जनसंख्या पैदा करें, कुछ परिणाम नहीं होगा। जितना हम विकास कर रहे हैं और विकास कार्य वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। समस्याएँ हल नहीं हो पा रही हैं। मनुष्य ने एक काम किया है कि मौत से एक लड़ाई लड़ी है। असमय मौत को हमने काफी हद तक पीछे ढकेल दिया है। हमने प्लेग जैसी महामारी से मुक्ति पा ली है। हम आदमी का ज्यादा स्वस्थ रख सकें। बच्चे जितने पैदा होते हैं, करीब-करीब सबको बचाने का उपाय कर लिया है। मनुष्य ने मौत से लड़ाई लड़ ली लेकिन मनुष्य हद भूल गया कि हमें जन्म से लड़ाई लड़नी है। मनुष्य प्रकृति के साथ लड़ाई जीतने की अकड़ में है। प्रकृति मनुष्य के साथ भी अलग तरह का सलूक नहीं करेगी। प्रकृति जनसंख्या विनाश के रास्ते भी ढूँढ़ ही लेगी। प्रकृति ने मनुष्य जाति को उसकी सीमा दिखाना प्रारम्भ किया है। प्रकृति के प्रकोप को अनेक भयावह थपेड़े हमने झेले हैं।

हम स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहकर अपनी तसल्ली तो कर लेते हैं लेकिन तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के बोझ तले हमारे संसाधनों की साँसे दब रही हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण देश के राजनैतिक नेताओं की मानसिकता जनसंख्या वृद्धि के खतरों को समझने में असमर्थ है। विडम्बना यह है कि राजनीति से प्रेरित प्रयासों के बीच धर्म आधारित जनगणना के असली मुद्दे गौण हो गए हैं।

2000 से 2010 की जनगणना के आँकड़े बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि और मुस्लिमों की जन्म-दर वृद्धि दोनों बाते देश के लिए अत्यन्त गम्भीर हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के दो टुकड़े हो गए। इससे पहले मुसलमानों की जो जनसंख्या थी। उसे भी अभी की मुस्लिम जनसंख्या ने पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में मुसलमान सुनियोजित तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने में प्रयासरत हैं। जनगणना की यह वृद्धि उनका विश्व पर मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास है। सम्पूर्ण अमेरिका, यूरोप और रूस में भी पिछले 10 सालों में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका एवं यूरोप में मुस्लिम धर्मियों की वृद्धि 100 प्रतिशत है। रूस में वह 34 प्रतिशत है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की यह सुनियोजित साजिश चलती

रही तो जल्द ही मुस्लिम जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होगी। पाकिस्तान में 2025 तक आबादी 32 करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान है। बंगलादेश ने इस बारे में एक मिसाल कायम की है, क्योंकि वहाँ आबादी की रफ्तार पर कुछ अंकुश लगा सका है। इसकी तुलना में हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कम हो गया है।

भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़ने का मसला बंगलादेश से घुसपैठ करने वाले अवैध नागरिकों से जुड़ा है। आने वाले कुछ सालों में चीन की वर्तमान जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक हो जायेगी। भारत की जनसंख्या चीन के आगे निकल जायेगी। 2030 तक यह 150 करोड़ तक पहुँचने का मनुष्य हैं। यह कब तक चलेगा। जनसंख्या वृद्धि का यह मुद्दा सिर्फ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से ही नहीं जुड़ा है। समाज और राजनीति से भी रस विषय पर महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। सबको शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना आधुनिक लोकतन्त्र में राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी मानी जाती है। देश का विकास और स्थिरता नागरिकों को मिलने वाले संसाधनों की उपलब्धता से ही प्रतीत होती है। ऐसे में बिना जनसंख्या पर काबू पाए हम विकास का कोई पैमाना कैसे छू सकते हैं? देश की बढ़ती आबादी पर नियन्त्रण पाने के लिए जन-जागरण अभियान के साथ ही राष्ट्रीय कानून बनाने की अत्यन्त जरूरत है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वह अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानून के बिना नहीं थमेगी। हम चीन की तरह ऐसे

दम्पति एक बच्चे की नीति को कठोरता से न अपनाएँ मगर हम दो हमारे दो के नारे को तो नया रंग दे सकते हैं जिसका आग्रह भारत के साथ दुनिया में भी हो। किसी एटम बम या किसी हाइड्रोजन बम को हमारे ऊपर फेंकने की जरूरत नहीं है। तीव्र गति से बढ़ती विस्फोटक जनसंख्या ही हमारे लिए हाइड्रोजन बम बन जाएगी। आज जो जनसंख्या बढ़ रही है, वह मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। □□

पता: एस-2/376ए-12,

सिकरौता, भोजवीर वाराणसी,

उ०प्र० पिन-221002

रक्तदान से दें जिंदगी का उपहार



भारतीय संस्कृति में कई तरह के दान प्रचलित हैं, चाहे वह धन का हो, वस्तु का हो या सम्पत्ति का हो। हर दान के पीछे कोई न कोई भाव छुपा होता है। अक्सर लोग दान करते हैं, परंतु कुछ पाने के लिए। कोई ग्रह-नक्षत्र के दुष्प्रभावों से बचना चाहता है, कोई आराध्य को प्रसन्न करना चाहता है, जबकि कुछ लोग प्रसिद्धि पाने के लिए दान पुण्य करते हैं। आज के युग में इंसान में समर्पण की भावना विलुप्त होती जा रही है। वह अपने आप में सीमित होकर रह गया है। स्थिति तब अजीबोगरीब हो जाती है, जब किसी परिजन की जान खतरे में हो और लोग रक्तदान से पीछे हट जाते हैं। तमाम मौतों तो रक्त के अभाव में ही हो जाती हैं। ऐसे में यह बेहद चिन्ता का विषय है।

भारत में हर साल 15 लाख लोगों की रक्त की कमी के कारण मौत हो जाती है। एकमात्र रक्त ही है जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। हमारे वैज्ञानिक चाँद, तारों पर पहुँच गये, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर लिया, जानवरों के क्लोन बना लिये परन्तु यदि कोई वस्तु अब तक नहीं बना सके तो वह है, मानव रक्त। अर्थात् रक्त का विकल्प केवल और केवल रक्त ही है। कई बार जिंदगी के चिराग सिर्फ इसलिए बुझ जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त रहते रक्त नहीं मिल पाता। ऐसे में रक्तदान समय की माँग है। एक व्यक्ति को दिया गया रक्त न जाने कितने चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। इसीलिए रक्त को जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न माना जाता है। लेकिन रक्तदान को लेकर समाज में तमाम भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, जिसके चलते लोग रक्तदान करने से कतराते हैं।

रक्त केवल शरीर में बहने वाला तरल पदार्थ



आकांक्षा यादव

नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परम्परा और हमारे आचार-विचार को प्रकट करने वाला साधन है। रक्त ने न जाने कितने परायों को अपना और अपनों को पराया कर दिया है। सड़क दुर्घटना में मरणासन्न व्यक्ति को जब कोई अपना रक्त देकर जीवन देता है तो वह अपने रक्तदाता का जीवन भर के लिए कृतज्ञ हो जाता है। मनुष्य के शरीर में वजन का 7 प्रतिशत रक्त होता है। एक सामान्य मनुष्य में 5-6 लीटर रक्त होता है, जबकि रक्तदान के दौरान मात्र 300 मिली रक्त लिया जाता है और शरीर इस रक्त की पूर्ति मात्र 24 घंटे में कर लेता है। एक यूनिट रक्त से 04 लोगों की जान बचाई जा सकती है क्योंकि अब रक्त को आवश्यकतानुसार चार रूपों में मरीज को दिया जाता है। रक्त में पाये जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स), श्वेत रक्त कणिकाएं (ल्यूकोसाइट्स), रक्त प्लेटलेट्स और रक्त समूह को आवश्यकतानुसार अलग-अलग या एक साथ मरीज को दिया जाता है। दुनिया में 90 प्रतिशत मामलों में रक्त के अवयवों का प्रयोग होता है, जबकि भारत में मात्र 15 प्रतिशत मामलों में ही

उनका प्रयोग होता है। यहाँ 85 प्रतिशत मरीजों को पूर्ण रक्त चढ़ा दिया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ 7 प्रतिशत भारतीयों का ब्लड ग्रुप ओ-निगेटिव है। 0.4 प्रतिशत भारतीयों का ब्लड ग्रुप एबी-निगेटिव है। सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप एबी-निगेटिव है।

रक्तदान को लेकर लोगों में तमाम भ्रांतियों हैं। मसलन रक्तदान से कमजोरी आ जाती है, रक्तदान करने से शरीर में खून कई माह बाद बनता है, रक्तदान करने से हेपेटाइटिस-बी व एड्स जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं या रक्तदान के बाद शरीर में जो खून बनता है वह अच्छा नहीं होता है। ऐसी तमाम भ्रांतियों से निजात पाने की जरूरत है। इसके लिए तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं प्रयासरत हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों को जागरूक कर रक्तदान से जोड़ा जा सके। वस्तुतः आज सबसे ज्यादा जरूरत युवा पीढ़ी को रक्तदान जैसे संकल्पबद्ध अभियान से जोड़ने की है।

सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में चार बार रक्तदान कर सकता है। न्यूनतम तीन माह के अन्तराल पर रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान के लिए जरूरी है कि व्यक्ति की आयु 18 से 60 साल के बीच हो, वजन 45 किलोग्राम से कम न हो एवं रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 व रक्तचाप 70-110 हो। इसके अलावा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या गुर्दे, लीवर व हृदय की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। एस्प्रिन, एंटीबायोटिक्स डिप्रेशन की दवा और हार्मोन की दवा लेने वाले व्यक्तियों को रक्तदान न करने की सलाह दी जाती है, वहीं अल्कोहल का लगातार सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी रक्तदान से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते। हाइपो या हाइपर थायरॉइड से पीड़ित व्यक्ति एवं डायबिटीज, अस्थमा, पीलिया व किडनी रोग से पीड़ित मरीज भी रक्तदान नहीं कर सकते। यही कारण है कि रक्तदान से पूर्व चिकित्सक द्वारा सामान्य जाँच करने के बाद ही रक्तदान किया जाता है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति का रक्तचाप, रक्त शर्करा, हीमोग्लोबिन के परीक्षण के अलावा मलेरिया, एच.

आई.वी., वी.डी.आर.एल, हेपेटाइटिस -बी, हेपेटाइटिस-सी इत्यादि का भी परीक्षण किया जाता है। रक्त दान से पूर्व कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। मसलन, खाली पेट रक्तदान नहीं करना चाहिए, रक्तदान से पूर्व किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए एवं रक्तदान से पहले पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। रक्तदान के बाद भी कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। मसलन - तेज धूप से बचें, 2-3 घंटे तक ड्राइविंग न करें, 4 घंटे तक धूम्रपान न करें और 24 घंटे तक अल्कोहल न लें। इसके अलावा 24 घंटों में 10-12 गिलास पानी और जूस जरूर पियें।

वस्तुतः रक्तदान का मकसद न तो प्रसिद्धि पाना है, न ही देवी-देवताओं को प्रसन्न करना बल्कि यह जनकल्याण की भावना से किया जाता है। समाजहित के लिए निःस्वार्थभाव से किया गया यह दान अतुलनीय है। जहाँ अन्य दान जीवन जीने का सहारा बनते हैं, वहीं रक्तदान तो नया जीवन ही प्रदान कर देता है। यही कारण है कि इसे महादान कहा जाता है। यह मानवता के प्रति संवेदनशक्ति तथा प्यार की अभिव्यक्ति है। रक्तदान से व्यक्ति एक तरफ तो दूसरे के जीवन को बचाता है, तो दूसरी तरफ स्वयं के शरीर में नयी स्फूर्ति प्राप्त करता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की मानें तो रक्तदान से शारीरिक कमजारी नहीं वरन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रक्तदान के बाद शरीर में 24 घंटे के भीतर नई रक्त कणिकाएं बन जाती हैं जो आक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने में और अधिक मजबूती से काम करती है, जिससे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रक्त की आयु नब्बे दिन होती है, रक्तदान करने से हमारे शरीर की पुरानी रक्त कोशिकायें निकल जाती हैं और हमारी अस्थि मज्जा, नयी रक्त कोशिकायें बनाने लगती हैं जिससे हमारे शरीर में एक नयी उर्जा का संचार होता है। परिणामस्वरूप बीमारियाँ होने का खतरा कम हो जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक समय-समय पर रक्तदान करने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिससे हृदय संबंधी रोग का भी खतरा कम हो जाता है।

रक्तदान की शुरुआत कैसे हुई यह भी जानना

दिलचस्प है। रक्तदान का आरंभ 17वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन उस समय रक्त देते समय प्रायः रोगियों की मृत्यु हो जाती थी। इस मृत्यु को देखते हुए इंग्लैण्ड, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने इसे पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया, परंतु दक्षिण अमेरिका में बसे इंडा सभ्यता के लोग, जो इससे पहले से एक आदमी का खून दूसरे में चढ़ाना सीख चुके थे, उनमें खून चढ़ाते समय बहुत कम लोगों की मृत्यु होती थी। उस समय इसका कारण ज्ञात नहीं था, लेकिन अनुमान लगाया गया कि इंडा सभ्यतावासी एक ही खून समूह वाले हैं, जबकि यूरोप में भिन्न-भिन्न रक्त समूह के लोग निवास करते हैं। ऐसे में इस दिशा में शोध आरंभ हुए और कार्ल लेण्डस्टाइनर (14 जून 1868-26 जून 1943) नामक विख्यात आस्ट्रियाई जीवविज्ञानी और भौतिकविद् को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने रक्त में अग्ल्युटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त का अलग अलग रक्त समूहों-ए, बी, एबी, ओ में वर्गीकरण कर चिकित्साविज्ञान में अहम योगदान दिया। इस महान खोज के चलते ही रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) संभव हो सका और वर्ष 1930 में इस महान वैज्ञानिक को शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल लेण्डस्टाइनर के जन्मदिन 14 जून को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कालान्तर में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर चुना।

वैश्विक स्तर पर बात करें तो प्रतिवर्ष 8 करोड़ यूनिट से ज्यादा रक्त, रक्तदान से जमा होता है। इसमें विकासशील देशों का योगदान 38 प्रतिशत होता है, जबकि यहाँ दुनिया की 82 प्रतिशत आबादी रहती है। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100 फीसदी स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डालते हुए यह लक्ष्य रखा था कि विश्व के प्रमुख 124 देश अपने यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान को ही बढ़ावा दें। मकसद यह था कि रक्त की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। तंजानिया जैसे देश में 80 प्रतिशत रक्तदाता पैसे नहीं लेते। ब्राजील में तो यह कानून है कि आप रक्तदान के पश्चात किसी भी

प्रकार की सहायता नहीं ले सकते। आस्ट्रेलिया के साथ साथ कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ पर रक्तदाता पैसे बिलकुल भी नहीं लेते। पर दुर्भाग्यवश अपना भारत इसमें काफी पिछड़ा हुआ है या यूँ कहें कि लोग जागरूक नहीं हैं।

आँकड़ों पर गौर करें तो भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत होती है, जिसमें से 75 लाख यूनिट रक्त ही उपलब्ध हो पाता है। यानी करीब 25 लाख यूनिट रक्त के अभाव में हर साल सैकड़ों मरीज दम तोड़ देते हैं। प्रत्येक दो सेकेंड में एक व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है। दरअसल भारत में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 38 हजार रक्तदाताओं की आवश्यकता है। फिलहाल मांग का केवल 59 प्रतिशत रक्त ही स्वैच्छिक रक्तदान से हासिल होता है। शेष 41 फीसदी रक्त की जरूरत को पेशेवर रक्तदाताओं से खरीद कर पूरा किया जाता है। हालात यह हैं कि आज ब्लड बैंकों में कई पेशेवर डोनर्स जब-तब रक्त बेचते हैं। तमाम शराबी, ड्रगिस्ट अपनी लत की भूख मिटाने के लिए थोड़े से पैसे की खातिर कई-कई बार रक्त बेचते हैं। इनमें से अधिकांश गंभीर रोगों से भी ग्रस्त होते हैं। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति इनसे रक्त तो ले लेता है, परंतु बाद में उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

वस्तुतः भारत की कुल आबादी की एक प्रतिशत जनसंख्या भी रक्तदान नहीं करती है जबकि नेपाल जैसे देश में कुल रक्त की जरूरत का 90 फीसदी स्वैच्छिक रक्तदान से पूरा होता है तो श्रीलंका में 60 फीसदी, थाईलैण्ड में 95 फीसदी, इण्डोनेशिया में 77 फीसदी और बर्मा में 60 फीसदी हिस्सा रक्तदान से पूरा होता है। भारत में मात्र 46 लाख लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। इनमें महिलाएं मात्र 06 से 10 प्रतिशत हैं। राज्यवार गौर करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उ०प्र० स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में पिछड़े राज्यों में शामिल है, जहाँ मात्र 16 प्रतिशत लोग स्वैच्छिक रक्तदान में रुचि दिखाते हैं। मेघालय में 10, मणिपुर में 10.08, उ०प्र० में 16 व पंजाब 19.04 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान के साथ निचले पायदान पर तो पश्चिम बंगाल (87.6), त्रिपुरा (84), तमिलनाडु (83), महाराष्ट्र

(78), चण्डीगढ़ (75) की गिनती बेहतर राज्यों में की जाती है। ढाई हजार से ज्यादा ब्लड बैंक भी हमारी जरूरत को नहीं पूरा कर पाते। आज तक देश में एक भी केंद्रीयकृत रक्त बैंक की स्थापना नहीं हो सकी है जिसके माध्यम से पूरे देश में कहीं पर भी रक्त की जरूरत को पूरा किया जा सके। टेक्नोलाजी में हुए विकास के बाद निजी तौर पर वेबसाइट्स के माध्यम से ब्लड बैंक व स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सूची को बनाने का कार्य आरंभ हुआ। इसमें थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली, लेकिन संतोषजनक हालात अभी नहीं बने। नतीजन, कहीं नकली खून का कारोबार बढ़ रहा है तो कहीं रक्तदान के नाम पर गोरखधंधा चल रहा है। ऐसे में जरूरत है इस संबंध में लोगों को जागरूक करने की और स्वयं पहल करने की ताकि स्वैच्छिक रक्तदान की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके और रक्त

के अभाव में किसी को जीवन का दामन न छोड़ना पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि यदि देश में 5 प्रतिशत लोग स्वयं ही रक्तदान करें तो आवश्यक रक्त की पूर्ति हो जायेगी। तो फिर देर किस बार की। आइए संकल्प लें और रक्तदान कर दूसरों को जीवनदान देने का पवित्र धर्म निभाएँ। याद आती हैं एक कवि की कुछ पंक्तियाँ- मैं हूँ इंसान और इंसानियत का मान करता हूँ, किसी की टूटती सांसों में हो फिर से नया जीवन मैं बस यह जानकर अक्सर 'लहू' का दान करता हूँ!! □□

पता : पोस्टमास्टर जनरल आवास
नदेसर, कैण्ट प्रधान डाकघर,
वाराणसी-221002
मो.-09413666599
ई-मेल : akankshay1982@gmail-com

बिखरे ना परिवार हमारा

भैया न्याय की बातें कर लो,
सार्थक पहल इक रख लो।
एक मां की हम दो औलादें,
निज अनुज पे रहम कर दो।।

हो रहा परिवार की किरकिरी,
गली, नुककड़ और बाजारों में।
न्यायपूर्ण आपसी संवाद छोड़,
अर्जी दिए कोर्ट कचहरी थानों में।।

लिप्सा रहित हो सभा हमारी,
निष्पक्ष पूर्ण हो संवाद हमारा।
मैं कहूँ तुम सुनो तुम कहो मैं,
ताकि खत्म हो विवाद हमारा ।।

कर किनारा धन दौलत को,
भाई बन कुछ पल बात करों।
मां जैसे देती रोटी दो भागों में,
मिलकर उस पल को याद करों।।
बिन मां बाप का अनुज तुम्हारा,
मां बाप बनके आज न्याय करों।।



- अंकुर सिंह

हर लबों पे अपनी कानाफूसी,
बैरी कर रहे अपनी जासूसी।

भैया, गर्भ एक लहू एक हमारा,
कंधों पे झूलने वाला मैं दुलारा।
आओ मिलकर रोके दूरियां,
ताकि बिखरे ना परिवार हमारा।।
ताकि बिखरे ना..... ।।

पता : हरदासीपुर, चंदवक
जौनपुर, उ. प्र. -222129.
मोबाइल - 8367782654.
व्हाट्सअप - 8792257267.
ईमेल -ankur3ab@gmail-com

‘सहकारिता’

पत्रिका के नियम

1. सहकारिता मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन हर महीने के तीसरे सप्ताह में होता है।
2. सहकारिता का उद्देश्य सहकारिता तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं और समाचारों का प्रचार करना, सहकारिता के उद्देश्य और उपयोग से जनता को परिचित कराना तथा देश की आर्थिक समृद्धि के लिये प्रेरित करना है।
3. इसका वार्षिक मूल्य ₹0 150.00 तथा आजीवन सदस्यता के लिए ₹0 1500.00 मात्र है।
4. प्रकाशन, विज्ञापन, ग्राहक और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक सहकारिता पो.बा. नं. 136 लखनऊ से करना चाहिए।
5. सहकारिता में प्रकाशित रचनाओं में प्रकट किये गये विचारों से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
6. सहकारिता पत्रिका के न मिलने की सूचना सम्पादक को मास के भीतर मिलनी चाहिए अन्यथा दूसरी प्रति भेजना सम्भव न होगा।
7. सहकारिता में प्रकाशनार्थ सामग्री-लेख समाचार आदि कागज में एक ही ओर लिखकर निम्न पते पर भेजना चाहिए।

सम्पादक

सहकारिता

पोस्ट बाक्स नं0 136

लखनऊ-226001

‘सहकारिता’ पत्रिका हेतु विज्ञापन की दरें

1-doj i jk IK'B	: 0 15 00000
2-fof k'V foKk u	: 0 10 00000
¼k/Zi sj i j ½	
3I kKj . ki jk IK'B	: 0 5 00000
4-v k/k IK'B	: 0 3 00000
5-pKkZIK'B	: 0 150000

‘सहकारिता’ साप्ताहिक एवं मासिक का शुल्क

<input type="checkbox"/> एक प्रति-सहकारिता साप्ताहिक	₹0	3.00
<input type="checkbox"/> एक प्रति-सहकारिता मासिक	₹0	15.00
<input type="checkbox"/> वार्षिक-सहकारिता साप्ताहिक	₹0	150.00
<input type="checkbox"/> वार्षिक-सहकारिता मासिक	₹0	150.00
<input type="checkbox"/> सहकारिता साप्ताहिक (आजीवन)	₹0	1500.00
<input type="checkbox"/> सहकारिता मासिक (आजीवन)	₹0	1500.00
<input type="checkbox"/> साप्ताहिक एवं मासिक संयुक्त (आजीवन)	₹0	3000.00

प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. को आपरेटिव यूनियन लि0
14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ के
पते पर शीघ्र मनीआर्डर भेजकर ग्राहक बनें।

वी0पी भेजने का नियम नहीं है।

कृपया पत्र- व्यवहार निम्न पते पर करें:-

सम्पादक

सहकारिता

यू.पी. कोआपरेटिव यूनियन लि0

14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग,

लखनऊ-226 001.

सहकारिता के सिद्धान्त



स्वैच्छिक और
खुली सदस्यता

प्रजातांत्रिक
सदस्य-नियंत्रण

सदस्य की आर्थिक
भागीदारी

शिक्षा प्रशिक्षण
और सूचना

स्वायत्तता और
स्वतंत्रता

सहकारी समितियों
में परस्पर सहयोग

सामाजिक
कर्तव्य बोध